



भारत सरकार

भारत सरकार

भारत सरकार द्वारा 1959 में जारी की गई

भारत सरकार

राजस्थान, जयपुर

भारत सरकार


नोखा के सुनियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार करने में नोखा के विशिष्ट जन-प्रतिनिधियों, संस्थाओं, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों तथा नगरीय विकास के इस कार्य में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस कस्बे के सुनियोजित विकास के लिए प्रदान किया है।

जिला कलक्टर बीकानेर, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नोखा का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में समय-समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया।

मास्टर प्लान को तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर हुए सभी सर्वेक्षणों तथा अन्य सूचनाओं को एकत्र करना आवश्यक होता है। इस विशेष कार्य में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर विद्युत वितरण निगम, उद्योग, चिकित्सा, जलप्रदाय, शिक्षा, वन, कृषि इत्यादि विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं ने सतत सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में अपना प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोग दिया है।

अन्त में, मैं सभी नागरिकों से आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस कस्बे को मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप सुनियोजित ढंग से विकसित करने में अपना सहयोग देते रहेंगे।

उक्त सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं नोखा के गणमान्य नागरिक धन्यवाद के पात्र हैं।



॥ पंचक फल गृह
ofj "B uxj fu; kst d]
chdkuj tkuj
chdkuj

; kst uk ny

- | | |
|------------------------------|---|
| 1 श्री एन के खरें | मुख्य नगर नियोजक,
राजस्थान, जयपुर (30.09.13 तक) |
| 2 श्रीमती इंदिरा चौधरी | अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम)
राजस्थान, जयपुर |
| 3 श्री सुग्रीब सिंह | वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर |
| 4 श्रीमती प्रीति गुप्ता | उप नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर। |
| 5 कु. अपूर्वा पाराशर | सहायक नगर नियोजक, जयपुर |
| 6 कु. मीनल जैन | सहायक नगर नियोजक, जयपुर |
| 7 श्री पुनीत शर्मा | सहायक नगर नियोजक, बीकानेर |
| 8 श्री गुरुदत्त शर्मा | सहायक अभियंता, बीकानेर |
| 9 श्री दलीप कुमार पूनिया | सहायक अभियंता, बीकानेर |
| 10 श्री रणवीर सिंह | सहायक अभियंता, बीकानेर |
| 11 श्री मूलेन्द्र सिंह चौहान | वरिष्ठ प्रारूपकार, बीकानेर |
| 12 श्री कमल कुमार मिश्रा | कनिष्ठ प्रारूपकार, बीकानेर |
| 13 श्री मोहम्मद सरवर उस्ता | कनिष्ठ प्रारूपकार, बीकानेर |
| 14 श्री उम्मेद सिंह राजावत | वरिष्ठ निजी सहायक, मुख्यालय
राजस्थान, जयपुर। |
| 15 श्री अर्जुन नाथ सिद्ध | शीघ्रलिपिक, बीकानेर |

fo"k; | yph

Øl a fo"k; oLrq

आभार

i "B | a[; k

ii

	योजना दल	iii
	विषय सूची	iv
	तालिका सूची	viii
1.	i fjp;	1-2
2.	fo eku fo' k's'krk, a	3-15
	2.1 भौतिक स्वरूप एवं जलवायु	3
	2.2 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य	3
	2.3 ऐतिहासिक	4
	2.4 जन सांख्यिकी	5
	2.5 व्यावसायिक संरचना	6
	2.6 विद्यमान भू-उपयोग	6
	2.6.1 आवासीय	7
	2.6.1 (अ) आवासन	7
	2.6.1 (ब) कच्ची बस्तियाँ	8
	2.6.1 (स) शहरी नवीनीकरण	8
	2.6.2 वाणिज्यिक	8
	2.6.3 औद्योगिक	8
	2.6.4 सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय	9
	2.6.5 आमोद-प्रमोद	9
	2.6.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	10
	2.6.6 (अ) शैक्षणिक	10
	2.6.6 (ब) चिकित्सा सुविधाएं	10
	2.6.6 (स) सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/ऐतिहासिक	11
	2.6.6 (द) अन्य सामुदायिक सुविधाएं	11
	2.6.6 (य) जनोपयोगी सुविधाएं	11
	2.6.6 (य) 1 जलापूर्ति	11
	2.6.6 (य) 2 मल-जल निकास व ठोस कचरा निस्तारण व प्रबन्धन	12
	2.6.6 (य) 3 विद्युत आपूर्ति	12
	2.6.6 (र) श्मशान एवं कब्रिस्तान	13
	2.6.7 परिसंचरण	13

	2.6.7 (अ) यातायात व्यवस्था	13
	2.6.7 (ब) बस तथा ट्रक टर्मिनल	14
	2.6.7 (स) रेल एवं हवाई सेवा	14
	2.7 मास्टर प्लान-2001 की समीक्षा	14
3-	fu; kstu dh l dYi uk	16-17
	3.1 नियोजन की नीतियाँ	16
	3.2 नियोजन के सिद्धान्त	17
4-	Hkkoh vkdkj	18-21
	4.1 जन सांख्यिकी	18
	4.2 व्यावसायिक संरचना	19
	4.3 नगरीय क्षेत्र	19
	4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	20
	4.5 योजना क्षेत्र	20
	4.5.1 उत्तर-पूर्वी योजना क्षेत्र	20
	4.5.2 दक्षिण-पूर्वी योजना क्षेत्र	21
	4.5.3 दक्षिणी-पश्चिमी योजना क्षेत्र	21
	4.5.4 उत्तरी-पश्चिमी योजना क्षेत्र	21
	4.5.5 परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र	21
5-	Hkmi ; ksx ; kst uk	22-36
	5.1 आवासीय	23
	5.1.1 आवासन	23
	5.1.2 अनौपचारिक सैक्टर योजना	23
	5.1.3 अफोर्डेबल हाऊसिंग क्षेत्र	23
	5.1.4 कच्ची बस्तियाँ	24
	5.2 मिश्रित भू-उपयोग	24
	5.3 वाणिज्यिक	24

5.3.1 खुदरा व्यापार	25
5.3.2 थोक व्यापार एवं विशेष बाजार	26
5.3.3 भण्डारण एवं गोदाम	26
5.3.4 वाणिज्यिक केन्द्र	26
5.4 औद्योगिक	26
5.5 सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय	27
5.6 आमोद-प्रमोद	27
5.6.1 उद्यान एवं खुले स्थल	27
5.6.2 स्टेडियम	28
5.6.3 विशेष क्षेत्र-1	28
5.6.4 विशेष क्षेत्र-2	28
5.7 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	28
5.7.1 शैक्षणिक	29
5.7.2 चिकित्सा	30
5.7.3 अन्य सामुदायिक सुविधाएं	30
5.7.4 जनोपयोगी सुविधाएं	30
5.7.4 (अ) जलापूर्ति	31
5.7.4 (ब) मल-जल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण व प्रबन्धन	31
5.7.4 (स) विद्युत आपूर्ति	31
5.7.4 (द) श्मशान एवं कब्रिस्तान	32
5.8 परिसंचरण	32
5.8 (1) प्रस्तावित यातायात संरचना	32
5.8.1(अ) सड़कों को चौड़ा करना एवं उनका सुधार	33
5.8.1(ब) चौराहों का सुधार	34
5.8.1(स) फ्लाईओवर	34
5.8.1(द) पार्किंग व्यवस्था	34
5.8.2 बस, ट्रक टर्मिनल व टैक्सी स्टेण्ड	34
5.8.3 रेल एवं हवाई सेवा	35
5.9 परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र	35
5.9.1 ग्रामीण आबादी क्षेत्र	35
5.10 पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण	36
6- ; kst uk dk dk; kJo; u	37-39

6.1 वर्तमान आधार	37
6.2 प्रस्तावित आधार	37
6.3 जन-सहभागिता एवं जन-सहयोग	38
6.4 भू-उपयोग अंकन एवं भूमि आवाप्ति	38
6.5 उपसंहार	39

ifj'k"V %

1. राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण	40
2. राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम 1962 के उद्धरण	41
3. राजकीय अधिसूचना दिनांक 02.11.2011	43
4. राजकीय अधिसूचना दिनांक 18.9.2012	44
5. राजकीय अधिसूचना दिनांक 28.09.12	45
6. राजकीय अधिसूचना दिनांक 30.05.13	46
7. राजकीय अधिसूचना दिनांक 19.02.15	47

rkfydk I pph

Øe l a	rkfydk dk foj .k	i "B
l a		
1.	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति : 1951-2010	
5		
2.	व्यावसायिक संरचना : 1991-2001	
6		
3.	विद्यमान भू-उपयोग	: 2010
7		

4.	9	सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय : 2010
5.	10	शैक्षणिक संरचना : 2010
6.	12	जलापूर्ति : 2010
7.	12	विद्युत आपूर्ति : 2010
8.	18	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान : 1981-2031
9.	19	अनुमानित व्यावसायिक संरचना : 2031
10.	20	योजना क्षेत्र : 2031
11.	22	प्रस्तावित भू-उपयोग : 2031
12.	25	प्रस्तावित प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण : 2031
13.	27	राजकीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग का विवरण : 2031
14.	29	सार्वजनिक/अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं के भू-उपयोग का विवरण : 2031
15.	29	शैक्षणिक सुविधाओं के भू-उपयोग का विवरण : 2031
16.	30	चिकित्सा सुविधाओं के भू-उपयोग का विवरण : 2031
17.	32	प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार : 2031
18.	33	सड़कों का प्रस्तावित मार्गाधिकार : 2031

नोखा, पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर जिले एवं संभागीय मुख्यालय में स्थित एक उपखण्ड व तहसील मुख्यालय है, जो 27°33' उत्तरी अक्षांश से 73°28' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। यह बीकानेर सम्भाग के दक्षिण में बीकानेर शहर से लगभग 65 किलोमीटर व नागौर शहर से 50 किमी की दूरी पर है। नोखा नजदीक के एक गाँव सोमलसर के धनिक श्री सुगनचन्द पारख के प्रयासों से स्थापित किया गया था, जिसकी मुख्य योजना तत्कालीन बीकानेर स्टेट के फ्रांसीसी इंजीनियर "मिस्टर मैकेंजी" ने तैयार की थी। यह रेल एवं सड़क मार्ग दोनों के द्वारा राज्य के प्रमुख शहरों से जुड़ा है। यह राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 89 पर स्थित है।

थार रेगिस्तान का हिस्सा होने के कारण यहाँ रेत के टीले हैं एवं गर्मियों में रेतीली आँधियाँ चलती हैं। यहाँ की जलवायु शुष्क एवं गर्म है। तापमान के उतार-चढ़ाव में बहुत अंतर पाया जाता है। रेतीली आँधियों के कारण कभी-कभी सड़क व रेल मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, परन्तु मिट्टी के तुरन्त हटाये जाने व जंगल आदि में पौधारोपण किये जाने के कारण इसमें काफी कमी आई है।

नोखा नगर की स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी। वर्तमान मण्डी जहाँ मुख्य नगर स्थित है को मण्डी टारुन के तौर पर आधुनिक व आधारभूत सुविधाओं सहित विकसित करने में तत्कालीन बीकानेर राज्य के महाराजा श्री गंगासिंह जी व मुख्य फ्रांसीसी इंजीनियर वास्तुकार श्री मैकेंजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने इसे ग्रिड-आयरन पद्धति से बसाया। इस नगर में सभी सड़कों व गलियाँ आपस में समकोण पर मिलती हैं। मुख्य चौड़ी सड़कों के मिलन स्थल पर चौक रखे गये हैं।

नोखा नगर को नोखा मण्डी के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर सम्भाग के दक्षिणी भाग में यह एक मात्र मण्डी है। नोखा शहर औद्योगिक दृष्टि से अग्रणीय मण्डी है। नोखा में बिजली के तार, बल्ब, पंखे, गम व हल्की रजाईयाँ इत्यादि भी बनाई जाती हैं जो आस पास के इलाकों में काफी प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर काफी औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित हैं। यहाँ की रजाईयाँ विश्वविख्यात हैं।

नोखा काफी तेजी से विकसित होता कस्बा है जो नगर के तौर पर विकसित होने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। वर्ष 1951 में यहाँ जनसंख्या मात्र 4557 थी जो वर्ष 2001 में 67,214 व वर्ष 2010 में बढ़कर अनुमानित 86,790 हो चुकी हैं। इसके विकास एवं विकास की संभावनाओं, कच्ची बस्तियों का फैलाव, अवैध निर्माण, अव्यवस्थित व अनियोजित विकास को ध्यान में रखकर इसका प्रथम मास्टर प्लान वर्ष 1981 में तैयार किया गया था। बड़े कस्बों/नगरों/शहरों में गाँवों से आबादी के पलायन को रोकने हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर कदम उठाये जाते रहे हैं। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. आदि योजनाओं को स्वीकृत कर ऋण/अनुदान के द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसके तहत नोखा में 2 आवासीय व 2 वाणिज्यिक योजनाएं विकसित की गई हैं।

नोखा शहर राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 89 पर स्थित होने के कारण इस सड़क पर वर्कशॉप व ऑटो पार्ट्स की दुकानों पर ट्रक सदैव खड़े रहकर मरम्मत कार्य करवाते हैं, जिससे स्थानीय व बाहरी यातायात में अवरोध पैदा होता है एवं सड़क मार्ग संकड़ा व भीड़ भरा रहता है। इसके अतिरिक्त यहाँ कोई ट्रक स्टेण्ड भी नहीं है। शहर में अधिकांश भवन बिना सैट बैक्स के निर्मित हैं, जिनमें पार्किंग हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। शहर की सारी पार्किंग सड़कों पर की जाती है। औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में सड़कों पर कब्जे कर उनकी वास्तविक चौड़ाई कम कर दी गयी है, जिनकी वजह से यहाँ पर सुगम यातायात के दृष्टिकोण से काफी समस्या रहती है। पुराने एवं अनधिकृत रूप से बसी बस्तियों में पार्किंग का अभाव है।

अतः उपर्युक्त सभी कारणों से उत्पन्न समस्याओं का हल ढूँढने एवं नगर के भावी विकास को सही दिशा देने के लिए वर्ष 1981 में राज्य सरकार द्वारा मास्टर प्लान स्वीकृत किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन नीति में छोटे व मध्यम दर्ज के नगरों के विकास और इनमें रह रही बड़ी जनसंख्या को महत्व दिया जा रहा

है। नोखा का प्रथम मास्टर प्लान वर्ष 2001 क्षितिज वर्ष के लिए तैयार किया गया था, जिसे राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1981 में स्वीकृत किया गया। इस मास्टर प्लान की अवधि राज्य सरकार द्वारा सितम्बर, 2012 तक बढ़ायी गयी है। इसके पूर्व में स्वीकृत मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र में 8 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया। शहर की वृद्धि एवं विकास मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुरूप अपेक्षित की गयी थी, किंतु भौतिक विकास पूर्णतः मास्टर प्लान के अनुरूप नहीं हो पाया है। नोखा के अनुमोदित मास्टर प्लान की अवधि समाप्त हो रही है। अतः आवश्यक हो गया है कि नोखा शहर का नया मास्टर प्लान तैयार किया जाये। इसी आशय को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 35 सन् 1959 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत क्रमांक प.10(7)नवि/3/81 जयपुर दिनांक 02.11.2011 को जारी कर अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान जयपुर को मास्टर प्लान तैयार करने हेतु प्राधिकृत किया है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.11.2011 व 18.9.2012 द्वारा नोखा के नगरीय क्षेत्र में 14 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है।

अधिसूचना की अनुपालना में शहर का भौतिक एवं आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण किया गया तथा द्वितीय स्त्रोतों के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं संकलित कर उनका विश्लेषण किया गया एवं इनके आधार पर नोखा के मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार किया गया। इस मास्टर प्लान का आधार वर्ष 2010 व क्षितिज वर्ष 2031 रखा गया है। शहर की अनुमानित जनसंख्या हेतु विभिन्न नगरीय आवश्यकताओं का निर्धारण कर उनको योजनाबद्ध व समन्वित रूप से योजना रूप में प्रस्तावित किया गया है। मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2031 में जनसंख्या 1,70,000 हो जाने का अनुमान है। इस अनुमानित जनसंख्या के लिए 11,440 एकड़ नगरीयकरण योग्य क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो कुल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र 74,848 एकड़ का 15.28 प्रतिशत है। इस मास्टर प्लान प्रारूप में नगर मानचित्र, सामान्यीकृत विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र, भू-उपयोग योजना मानचित्र 2031 एवं अधिसूचित क्षेत्र की सीमाओं को दर्शाने वाला नगरीय क्षेत्र मानचित्र सम्मिलित किये गये हैं।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 5 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत आम जनता से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु मास्टर प्लान का प्रारूप दिनांक 28.09.12 को प्रकाशित किया गया। राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर दिनांक 28.09.12 को प्रकाशित प्रारूप के संदर्भ में प्राप्त आपत्ति/सुझावों को निरस्त करते हुए मास्टर प्लान का संशोधित प्रारूप दिनांक 30.05.13 को पुनः प्रकाशित किया गया।

नोखा मास्टर प्लान के प्रारूप दिनांक 30.05.13 से 28.06.13 तक की निर्धारित समयावधि में कुल 155 पत्रों से 188 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुये। जांच के उपरांत एक आपत्ति/सुझाव स्वीकृत योग्य, 2 आपत्ति/सुझावों को आंशिक स्वीकृत माना गया तथा 150 आपत्ति/सुझाव स्वीकृत योग्य नहीं पाये गये। 35 आपत्ति/सुझावों में मास्टर प्लान स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित नहीं समझी गई।

इस प्रकार स्वीकृत/आंशिक स्वीकृत योग्य पाये गये सुझावों के अनुसार भू-उपयोग योजना में संशोधन करते हुए नोखा मास्टर प्लान को नगर सुधार अधिनियम-1959 की धारा 5 (3) के अनुसरण में अंतिम रूप से तैयार कर लिया गया है। इसे उक्त अधिनियम की धारा 6 (1) के अंतर्गत प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के पास अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा रहा है।



Wherh bfnjk%
vfrfjDr e[; uxj fu; kst d% f' pe%
jktLFkku] t; i j A

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक प.10(7)नवि/3/81 दिनांक 19.02.15 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। (परिषिष्ट-7)

एक नगर मानवीय गतिविधियों का मुख्य केन्द्र होता है, जो कि अपने आस-पास के क्षेत्र से विशिष्ट सम्बन्ध बनाये रखता है। इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप यह अपने स्वयं के कार्य-कलापों को उत्पन्न करता है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि आने वाले दशकों में नगर के विकास को सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित करने हेतु नीति निर्धारण करने एवं प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व, क्षेत्र के सापेक्ष नगर की स्थिति, इसके योगदान तथा महत्व का अध्ययन किया जावे। साथ ही इसकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व व्यावसायिक संरचना, भू-उपयोग तथा विकास प्रवृत्ति एवं प्रगति का भी अध्ययन किया जाये, जिससे योजना मानवीय मानदण्डों के अनुरूप हो सके।

इन अध्ययनों से उन समस्त तत्वों का आंकलन किया जा सकता है तथा उन तत्वों को पहचाना जा सकता है, जिनसे नगर का विकास प्रभावित हुआ है और जो भविष्य में भी नगरीय क्षेत्र को प्रभावित करते रहेंगे। इस अध्ययन में उन सभी तथ्यों एवं उनके प्रभावों का संक्षेप में उल्लेख है।

2-1 Hkkf'rd Lo: i ,oa tyok; q

नोखा की माध्य समुद्र तल से ऊँचाई 317 मीटर है तथा यह 27° 33' उत्तरी अक्षांश से 73°28' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। जिला मुख्यालय बीकानेर से इसकी दूरी लगभग 65 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 नगर के मध्य से गुजरती है, जो बीकानेर-जोधपुर को आपस में जोड़ती है। इस नगर के पूर्वी दिशा में राज्य राजमार्ग संख्या 20 से यह शहर सीकर से जुड़ा है। ब्रॉडग्रेज रेल लाईन इस शहर के मध्य से गुजरती है, जो इसे राज्य के मुख्य शहरों के अतिरिक्त देश के प्रमुख शहरों से भी जोड़ती है। थार रेगिस्तान में बसा होने के कारण यहाँ की जलवायु लगभग सम्पूर्ण वर्ष गर्म और शुष्क रहती है तथा यहाँ के तापमान में काफी भिन्नता रहती है। यहाँ पर गर्मियों एवं सर्दियों में औसत तापमान में 42° सेण्टीग्रेड से 45° सेण्टीग्रेड तथा 20° सेण्टीग्रेड से 22° सेण्टीग्रेड के मध्य रहता है। यहाँ पर अधिकतम तापमान गर्मियों में 47.2° सेण्टीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान सर्दियों में 4.4° सेण्टीग्रेड रहता है। राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी भाग में धूल भरी आँधियाँ आती हैं, जो कि इस भू-भाग की सामान्य विशेषता है। हवा की दिशाएं मुख्य रूप से अप्रैल से सितम्बर तक दक्षिण-पश्चिम से तथा अक्टूबर से मार्च तक उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व की ओर से होती है। तापमान में अत्यधिक उतार-चढ़ाव के मुख्य कारण से यहाँ का मौसम गर्म और शुष्क रहता है। यहाँ मानसून का आना अनिश्चित रहता है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा लगभग 377 मिलीमीटर रहती है तथा औसत आर्द्रता 60 प्रतिशत रहती है।

2-2 {k=h; i fji d;

नोखा नगर बीकानेर जिले के अंतर्गत उपखण्ड एवं तहसील मुख्यालय है। यह राजस्थान के उत्तर व जिला मुख्यालय के दक्षिण में स्थित है, तथा नजदीकी क्षेत्र की एकमात्र मण्डी है। क्षेत्र में बारानी खेती की जाती है जो वर्षा पर आधारित है। प्रमुख फसलों में तिल, ग्वार, चना, बाजरा, मूंग एवं मोठ इत्यादि आती हैं। नोखा में कृषि विकास हेतु प्रमुख सुविधाओं में भारतीय खाद्य निगम के स्टोरेज गोदाम, कृषि उपज मण्डी, औद्योगिक क्षेत्र आदि प्रदत्त हैं।

अधिकांशतः क्षेत्र में बालू मिट्टी पायी जाती है। बालू मिट्टी के ऊँचे-ऊँचे टीले हैं। गर्मियों में हवा के वेग से मिट्टी इधर से उधर उड़कर जमा होती रहती है। स्थानीय तौर पर मुख्य व्यवसाय कृषि ही है तथा मुख्य

उद्योग भी दाल मिल, ऑयल मिल आदि हैं। इस कस्बे के पास ही बरसिंहसर में कोयला आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई है तथा बजरी खनन क्षेत्र में यहाँ अच्छा व्यवसाय किया जा रहा है।

नोखा के समीप ही मुकाम नामक ग्राम है, जहाँ बिश्नोई समाज के धर्मगुरु श्रीजम्भेश्वर जी की समाधि हैं। इस समाधि स्थल पर प्रत्येक वर्ष श्रीजम्भेश्वर जी के जन्म के अवसर पर मेले का आयोजन होता है जिसमें प्रति वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण देश के विभिन्न स्थानों से भाग लेने आते हैं।

2-3 , frgkfl d

वर्ष 1892 में नोखा नगर में रेल लाईन बिछाई गई थी तथा वर्ष 1904 में फ्लैग स्टेशन का निर्माण किया गया, जो वर्तमान रेलवे स्टेशन के उत्तर में 2 किलोमीटर पहले था, परन्तु अत्यधिक ढाल होने की वजह से इसे दक्षिण में वर्तमान स्थल पर लाया गया। जिसका निर्माण वर्ष 1915 में हुआ था। धीरे-धीरे रेलवे स्टेशन के चारों ओर छितरे हुए मकान बनने शुरू हो गए। वर्ष 1927 में सोमलसर गाँव के स्व. श्री सुगन चन्द जी की सलाह पर तत्कालीन महाराजा श्री गंगासिंह जी ने नोखा मण्डी कस्बे की स्थापना की। यद्यपि तत्कालीन बीकानेर स्टेट के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता मिस्टर मैकेंजी द्वारा कस्बे का नक्शा तैयार किया गया लेकिन स्व. श्री सुगनचन्द पारख का इसमें सराहनीय योगदान रहा जिन्हें महाराजा द्वारा कस्बे का चौधरी नियुक्त किया गया था। नोखा कस्बे के विकास को दृष्टिगत रखते हुए रोड़ा गाँव के ठाकुर से 700 एकड़ जमीन इस हेतु अधिगृहीत कर, रेलवे लाईन के पश्चिम में ग्रिड आयरन पद्धति से कस्बे का नक्शा तैयार किया गया, जिसमें रेलवे स्टेशन के समीप वाणिज्यिक क्षेत्र (मण्डी) को चिन्हित किया गया। समग्र आबादी को जाति समूह के आधार पर रखकर रिहायशी क्षेत्रों की स्थापना की गई तथा निश्चित जाति समूह के अनुसार उनके समूह के नाम पर सभी चौक का नामकरण किया गया।

शुरुआत में अनाज मण्डी क्षेत्र व इसके आस-पास 1600 वर्गगज के 100 भू-खण्डों का आवंटन किया गया जिसमें से 50 भूखण्डों पर तुरन्त निर्माण कार्य शुरू हो गया। इसी समय एक कुआं “राजवाला कुआं” तथा एक कुण्ड की खुदाई भी शुरू कराई गई जो कि अनाज मण्डी के उत्तर में है। मण्डी के दक्षिण में “पुरानी धर्मशाला” के नाम से एक धर्मशाला का निर्माण भी कराया गया। वर्ष 1940 में नोखा-बीकानेर तथा वर्ष 1943 में नोखा-सीकर को जोड़ने वाली सड़क का अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत निर्माण कराया गया। वर्ष 1947 आते-आते शेष 50 भूखण्डों पर भी निर्माण कार्य शुरू हो गया। इसी समय उत्तर में बीकानेर रोड पर चिकित्सालय जो उस समय प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र था, प्राथमिक विद्यालय व पुलिस चौकी की भी स्थापना की गई।

वर्ष 1943 में इसे तहसील का दर्जा मिला तथा इसके विकास हेतु तहसीलदार की अगुवाई में नगर विकास समिति का गठन किया गया। जिसका कार्यकाल वर्ष 1959 तक रहा। बाद में इसका कार्य नवगठित नगर पालिका के सुपुर्द कर दिया गया।

रेलवे लाईन की पूर्व दिशा में नगर का विस्तार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही शुरू हुआ था। वर्ष 1943 में आवंटित भूखण्डों पर 1953 में निर्माण कार्य शुरू हो गया था, किन्तु 1958 तक कुछ ही भूखण्डों पर निर्माण कार्य शुरू हो पाया। वर्ष 1951-52 में बीकासर गाँव के दो ठाकुर भाईयों मोहन सिंह व जोरावर सिंह ने अपनी कृषि भूमि पर नोखा के उत्तर पूर्व में योजनाबद्ध दो आवासीय योजनाएं 1954 व 1960 में मोहनपुरा व जोरावरपुरा के नाम से शुरू की जिन पर 1965 तक कई निर्माण हो चुके थे। वर्ष 1976 में इन्हें नोखा की बढ़ी हुई नगर पालिका सीमा में शामिल कर लिया गया। इस दौरान वर्ष 1950 में विद्युत प्रदाय योजना तथा वर्ष 1964 में जल प्रदाय योजनाएं भी शुरू की गईं। नागौर से वर्ष 1952 व रोड़ा गाँव

से वर्ष 1963 में नोखा को पक्की सड़कों से जोड़ा गया। कुछ विकास बीकानेर रोड व रोड़ा रोड के दोनों ओर भी हुआ। रेलवे लाईन के पूर्व व पश्चिम दिशा में अवैध खनन किया जा रहा था, जिन्हें बाद में बन्द कर दिया गया था और भूमि ऊपर से रिक्त दिखाई देने लगी थी। इस वजह से इन खानों के ऊपर अवैध कच्ची बस्तियाँ बसने लगी। पहली बड़ी औद्योगिक इकाई (दाल मिल) की स्थापना वर्ष 1969-70 में हुई। अभी बीकानेर रोड पर दोनों ओर काफी लम्बा-चौड़ा औद्योगिक क्षेत्र रीको द्वारा विकसित हो चुका है। एफ. सी. आई. गोदाम व कृषि उपज मण्डी भी विकसित हो चुकी है।

2-4 तुलिका; dh

नोखा मण्डी की स्थापना वर्ष 1927 में हो गई थी, किन्तु प्रथम बार वर्ष 1951 में इसकी अधिकारिक तौर पर जनगणना की गई, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं। उस समय इसकी जनसंख्या 4557 थी। आंकड़ों के हिसाब से कस्बे में 50, 60 व 70 के दशक में जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 1971-81 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम 114.93 प्रतिशत रही। वर्ष 1981 में हुई जनगणना के अनुसार नोखा की जनसंख्या 24,119 थी। इसका मुख्य कारण नोखा के आस-पास की आबादी जोरावरपुरा, मोहनपुरा, उगमपुरा व कानपुरा को नोखा की बढ़ी हुई नगर पालिका सीमा में शामिल करना रहा। वर्ष 1991 में नोखा की जनसंख्या 35,854 वर्ष 2001 में 67,214 व वर्ष 2010 में जनसंख्या 86,790 होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें ग्राम रोड़ा, बीकासर, माडिया, नोखा गांव व चरकड़ा की जनसंख्या भी शामिल है क्योंकि इन गाँवों के आबादी क्षेत्र नोखा के प्रस्तावित मास्टर प्लान के भाग हैं। नोखा की जनसंख्या वृद्धि दर को तालिका-1 में दर्शाया गया है।

rkfydk &1
tulika; k of) nj] uks[kk 1951&2010 *

वर्ष	तुलिका; k	वृद्धि	वृद्धि दर (%)
1951	4,557	—	—
1961	7,740	+ 3,183	+ 69.85
1971	11,222	+ 3,482	+ 44.99
1981	24,119	+12,897	+114.93
1991	35,854	+11,735	+ 48.65
2001	67,214	+31,350	+ 87.46
2010 *(अनुमानित)	86,790	+19,576	+ 29.12

स्रोत : भारतीय जनगणना एवं अनुमान *

2-5 0; kol kf; d l j puk

नोखा कस्बे में कार्यशील व्यक्तियों का अनुपात सन् 1991 की जनसंख्या के आधार पर 24.06 प्रतिशत था, जो सन् 2001 में 24.55 प्रतिशत हो गया। शहर में सन् 1991 की जनगणना के आधार पर 8,630 व्यक्ति व सन् 2001 में 16,501 व्यक्ति विभिन्न कार्यकलापों में कार्यरत थे। सन् 2001 में कुल कार्यशील व्यक्तियों में से 5.4 प्रतिशत प्राथमिक सैक्टर में कार्यरत था, जो कि वर्ष 1991 में 24.82 प्रतिशत था। इस कमी का मुख्य कारण उक्त क्षेत्र में वर्षा आधारित कृषि का होना रहा है। वर्ष 2001 में 23.00 प्रतिशत द्वितीयक सैक्टर तथा शेष 71.60 प्रतिशत तृतीयक सैक्टर में कार्यरत थे। इस तालिका का अवलोकन करने पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि इस कस्बे में व्यापार एवं वाणिज्यिक कार्यों में अधिक

व्यक्ति लगे हुए हैं। इसका मुख्य कारण यहाँ पर सिर्फ कृषि पर आधारित क्रियाकलापों का विकास रहा है।
नोखा की व्यावसायिक संरचना को तालिका-2 में दर्शाया गया है:-

rkfydk &2

0; kol kf; d l j p u k u k s [k k 1991&2001

Øe l a	0; ol k;	1991		2001	
		dk; Z khy 0; fDr	i fr'k r	dk; Z khy 0; fDr	i fr'kr
1	कृषि खनन, एवं तत्संबंधी कार्य	2142	24.82	891	5.40
2.	उद्योग	1329	15.40	3218	19.50
3.	निर्माण	590	6.84	1419	8.60
4.	व्यापार एवं वाणिज्य	2681	31.07	5775	35.00
5.	यातायात एवं संचार	580	6.72	1403	8.50
6.	अन्य सेवाएं	1308	15.15	3795	23.00
	कुल कामगार	8630	100.00	16,501	100.00

स्त्रोत: भारतीय जनगणना व विभागीय अनुमान

2-6 fo | eku Hk&mi ; ksx

नोखा नगर का वर्ष 2010 में कुल विकसित क्षेत्र 2687 एकड़ है। विद्यमान भू उपयोग की गणना के आधार पर कुल विकसित क्षेत्र का 58.8 प्रतिशत आवासीय, 5.4 प्रतिशत वाणिज्यिक, 7.4 प्रतिशत औद्योगिक, 0.5 प्रतिशत राजकीय, 1.4 प्रतिशत आमोद-प्रमोद, 7.3 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक तथा 19.2 प्रतिशत परिसंचरण के अन्तर्गत आता है। विद्यमान भू-उपयोग वर्ष 2010 को निम्न तालिका-3 में दर्शाया है।

rkfydk&3

fo | eku Hk&mi ; ksx] u k s [k k & 2010

Øekad	Hk&mi ; ksx	{ks=Oy ¼, dM+ e½	fodfl r {ks= dk i fr'kr	uxjh; dr {ks= dk i fr'kr
1.	आवासीय	1582	58.80	55.90
2.	वाणिज्यिक	144	5.40	4.80
3.	औद्योगिक	199	7.40	6.60
4.	राजकीय	14	0.50	0.50

5.	आमोद-प्रमोद	36	1.40	1.20
6.	सार्वजनिक व अर्द्ध-सार्वजनिक	195	7.30	6.50
7.	परिसंचरण	517	19.20	17.30
द्वय फोडल र {ks=		2687	100-00	89-80
8.	कृषि	58	—	1.9
9.	रिक्त भूमि	213	—	7.1
10.	जलाशय आदि	32	—	1.20
द्वय uxjh; dr {ks=		2990	&	100-00

स्रोत : नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण

2-6-1 vkokl h;

नोखा के प्रथम मास्टर प्लान में क्षितिज वर्ष 2001 में आवासीय प्रयोजनार्थ कुल 1800 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी थी, जिसमें से आधार वर्ष 2010 तक 1582 एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ विकसित हो चुकी है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार नोखा का आवासीय घनत्व 37 व्यक्ति प्रति एकड़ है, तथा वर्ष 2010 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर नगर का आवासीय घनत्व 55 व्यक्ति प्रति एकड़ है। विकसित आवासीय क्षेत्र मुख्य सड़कों, रेलवे स्टेशन, नगर पालिका व मुख्य बाजार के समीप है तथा यही क्षेत्र उच्च आवासीय घनत्व का क्षेत्र भी है। पुराने कस्बे के बाहर बाहरी क्षेत्र में कुछ आवासीय कॉलोनियाँ भी योजनाबद्ध तरीके से विकसित हुई हैं, जहाँ आवासीय घनत्व बहुत ही कम है। पुराना कस्बा ग्रिड आयरन पद्धति पर सुनियोजित तरीके से बसा है जिसमें सड़कें व गलियाँ आपस में समकोण पर मिलती हैं तथा बड़ी व चौड़ी सड़कों पर वर्गाकार व आयताकार चौक बने हुए हैं जो विभिन्न नामों से जाने जाते हैं।

2-6-1½ vkokl u

नगर पालिका नोखा से प्राप्त सूचना के अनुसार यहाँ पर 11,496 परिवार 9,584 आवासों में निवास करते हैं। इस प्रकार परिवारों की संख्या की दृष्टि से आवास संख्या लगभग 1,900 कम हैं और इनके पास स्वयं का आवास नहीं है। ऐसे परिवारों को स्वयं का आवास उपलब्ध कराने हेतु सरकारी स्तर पर आवास नीति बनाए जाने की आवश्यकता है।

2-6-1¾ dPph cflR; k;

नोखा में राजकीय भूमि पर अनाधिकृत छितरी हुई कुल ग्यारह कच्ची बस्तियाँ वार्ड सं 1, 2, 5, 6, 7, 11, 17, 18, 19, 22 व 23 में विकसित हो गई हैं। कस्बे के नगरीयकृत क्षेत्र के बाहर चारों तरफ कृषि भूमि पर अनाधिकृत निर्माण भी हुए हैं। कुछ कच्ची बस्तियाँ शहर के मध्य स्थित बन्द हुई बजरी की खानों पर बसी हैं, जहाँ पर खुली जमीन उपलब्ध हो रही है, परंतु जनहानि का खतरा हरपल बना रहता है। इस वजह से कच्ची बस्तियाँ हटाने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास भी किए जा रहे हैं। इन कच्ची बस्तियों में व अनाधिकृत कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिन्हें नगर पालिका स्तर पर उपलब्ध कराये जाने के प्रयास जारी है।

2-6-1¼ ½ 'kgjh uohudj .k

नोखा शहर का पहला मास्टर प्लान वर्ष 1981-2001 तक के लिए तैयार किया गया था जिसे सितम्बर, 2012 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस कालान्तर में शहर के विकास हेतु सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास हुआ, लेकिन कच्ची बस्तियों का विकास अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। भविष्य में नई योजनाएं बनाते समय कच्ची बस्तियों एवं पुराने क्षेत्रों का पुनर्विकास तथा नवीनीकरण किया जाना अपेक्षित है।

2-6-2 okf.kfT; d

नोखा की अधिकांश वाणिज्यिक गतिविधियाँ खुदरा व थोक दोनों रेलवे स्टेशन के आस-पास ही संचालित हो रही हैं। कटला चौक व सदर बजार इसके मुख्य केन्द्र हैं। सदर बजार कस्बे का सबसे व्यस्त बाजार है। यहाँ से थोक व खुदरा दोनों वाणिज्यिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं। इनमें अनाज, मसाले व सामान्य उपयोग की चीजें प्रमुख हैं। सदर बजार व वाटर वर्क्स रोड पर क्लोथ मार्केट है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड के समीप व बीकानेर रोड पर पेट्रोल पम्प, बैंक, अन्य दुकानें यथा होटल, रेस्टोरेण्ट, टी स्टॉल, व ऑटो रिपेयर की दुकानें लगी हुई हैं। रेलवे स्टेशन के पूर्व में भी सुजानगढ़ रोड से तहसील रोड पर एक बड़ा खुदरा बजार विकसित हो गया है, जिसमें कृषि आधारित यंत्र, शो रूम व बैंक आदि संचालित हो रहे हैं। रोड़ा रोड पर पूर्व में एक सिनेमाघर का निर्माण किया गया था, जो कि वर्तमान में संचालित नहीं है।

बीकानेर रोड पर उत्तर में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उपज मण्डी विकसित की गई है। इसके उत्तर में व सुजानगढ़ रोड पर भण्डारण गोदाम स्थित है। वाणिज्यिक भू-उपयोग हेतु क्षितिज वर्ष 2001 के लिए पूर्व मास्टर प्लान में कुल 180 एकड़ भूमि आरक्षित की गयी थी, जिसमें से वर्तमान में खुदरा व्यापार हेतु लगभग 77 एकड़, थोक व्यापार हेतु 35 एकड़ तथा भण्डार एवं गोदाम हेतु 32 एकड़, कुल 144 एकड़ भूमि उपयोग में आ रही है जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 5.4 प्रतिशत है।

2-6-3 vks| kfxd

औद्योगिक दृष्टि से नोखा एक विकसित कस्बा है। पुरानी औद्योगिक इकाइयों के अलावा बीकानेर रोड पर दोनों ओर काफी इकाइयाँ कार्यरत हैं। रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया भी यहीं स्थित है। लघु उद्योग इकाइयों में मेटल, लकड़ी आधारित यथा फर्नीचर उद्योग, आरा मशीन, प्रिंटिंग प्रेस आदि इकाइयाँ कार्यरत हैं। जबकि बड़े उद्योगों में दाल मिल, ऑयल मिल, ग्वार गम व सीमेंट फैक्ट्री आदि इकाइयाँ चल रही हैं। यहाँ बिजली के तार, बल्ब, रजाइयों आदि का भी निर्माण किया जा रहा है। घरेलू उद्योगों में पापड़, बड़ी, साबुन व कताई-बुनाई उद्योग भी संचालित किये जा रहे हैं। यहाँ बजरी खनन का कार्य भी किया जा रहा है। औद्योगिक हेतु कुल 199 एकड़ भूमि काम में ली जा रही है जो कुल विकसित क्षेत्र का 7.4 प्रतिशत है। वर्ष 1991 के अनुपात में वर्ष 2001 में निर्माण क्षेत्र में व्यक्तियों की वृद्धि देखी जा सकती है, जिसका मुख्य कारण उक्त क्षेत्र में वर्षा कम होने से कृषि से जुड़े लोगों का निर्माण कार्य में जुड़ना है। नोखा में निर्माण कार्य काफी संख्या में हो रहे हैं। इस प्रकार निर्माण के क्षेत्र में भी नोखा विकास की दिशा में अग्रसर है।

2-6-4 | jdkjh , oa v) &l jdkjh dk; kly;

नोखा 1940 के दशक से ही तहसील मुख्यालय रहा है तथा 1959 में पंचायत समिति मुख्यालय भी बना। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अन्य सेवाओं में लगभग 1,308 व्यक्ति अर्थात् 15.15 प्रतिशत

कार्यरत थे, जबकि वर्ष 2010 की जनसंख्या अनुमान के आधार पर 3,795 अर्थात् 23 प्रतिशत व्यक्ति अन्य सेवाओं में कार्यरत थे। उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय से प्राप्त सूची के अनुसार 26 कार्यालय वर्तमान में हैं, जिनमें 740 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें नगर पालिका, तहसील, मुंसिफ न्यायालय, पंचायत समिति, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., कृषि उपज मण्डी, शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग इत्यादि कार्यालय विभिन्न स्थानों पर चल रहे हैं। वर्ष 2010 में सरकारी कार्यालयों की स्थिति को तालिका-4 में दर्शाया गया है। वर्ष 2001 तक प्रस्तावित 35 एकड़ क्षेत्र की जगह अभी तक मात्र 14 एकड़ क्षेत्र ही सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों हेतु उपयोग में आ पाया है।

rkfydk&4

I j dkjh , oa v) &l j dkjh dk; kly;] uks[kk 2010

Ø- I a	dk; kly;	dk; kly; ka dh I a; k	depkfj; ka dh I a; k
1.	केन्द्र सरकार	—	—
2.	राज्य सरकार	18	530
3.	अर्द्ध सरकारी	8	210

स्रोत : उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, नोखा

2-6-5 vkekn&i ækn

नोखा में वर्तमान में केवल दो पार्क ही स्थित हैं। एक सुजानगढ़ रोड पर नेहरु पार्क व दूसरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पश्चिम में वाटर वर्क्स के पास स्थित है। नगर में उद्यानों की काफी कमी है। लगभग 34 एकड़ का एक स्टेडियम रायसर जाने वाली सड़क पर स्थित है। बड़े विद्यालयों व महाविद्यालय परिसर में खेल के मैदान उपलब्ध हैं। मनोरजन की दृष्टि से पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है। इस कारण पर्यटकों का आवागमन भी नगण्य है। आमोद-प्रमोद हेतु पूर्व प्रस्तावित 140 एकड़ क्षेत्र में से केवल 36 एकड़ क्षेत्र काम में आ पाया है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 1.4 प्रतिशत है।

2-6-6 I kołtfud , oa v) &l kołtfud

पूर्व मास्टर प्लान में वर्ष 2001 हेतु प्रस्तावित 150 एकड़ क्षेत्र से बढ़कर नोखा में कुल 195 एकड़ भूमि सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोग हेतु काम में ली जा रही है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 7.3 प्रतिशत है। वांछित योजना मानदण्डों की आनुपातिक दृष्टि से शैक्षणिक, चिकित्सा, अन्य सामुदायिक सुविधाएं, जनोपयोगी सुविधाएं आदि का पर्याप्त विकास नहीं होने से वर्तमान में ये सुविधाएं अपर्याप्त हैं।

2-6-6 ¼½ 'k&kf.kd

शिक्षा की दृष्टि से नोखा अपने आस-पास के क्षेत्रों से अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ एक राजकीय महाविद्यालय व बाबा छोटूनाथ राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल के अतिरिक्त राठी माध्यमिक विद्यालय, हीराबाई गट्टाणी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, रायसर रोड पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल व प्रोफेशनल कॉलेज (आई.टी.आई.), नागौर रोड पर जोरा देवी गट्टाणी सीनियर सैकण्डरी स्कूल के साथ-साथ भट्टड़ स्कूल, जैन स्कूल, सन ब्राइट सैकण्डरी स्कूल, जय तुलसी सैकण्डरी स्कूल, बोथरा स्कूल तथा रोड़ा ग्राम में भी एक सैकण्डरी स्कूल स्थित हैं। नगर के विकास के साथ-साथ शिक्षण संस्थाओं का भी विकास हुआ है। इस उपयोग हेतु वर्तमान में लगभग 64 एकड़ भूमि उपयोग में आ रही है। शिक्षण संस्थाओं संबंधी सूचनाओं को तालिका-5 में दर्शाया गया है:-

rkfydk & 5
'k{kf.kd | j{puk} uks[kk&2010

Ø- l a	Lrj@d{kk	vk; q l eng	fo ky; tk jgs Nk=ka dh a; k	i R; d fo ky; ds vk{ r Nk=ka dh l a; k	fo ky; ka dh l a; k
1	प्राथमिक विद्यालय (1-5)	6-11	9719	180	54
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय (6-8)	12-1 4	5368	122	44
3	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (9-12)	15-1 8	4790	234	25

स्रोत : वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, नोखा

नोखा में 54 प्राथमिक, 44 उच्च प्राथमिक एवं 25 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने का कारण यह है कि शहर के आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करके उच्च कक्षा में यहाँ प्रवेश लेकर अध्ययन कर रहे हैं।

2-6-6 ¼½ fpdfRI k | fo/kk, a

नोखा में बीकानेर-सुजानगढ़ रोड के संगम नवली गेट पर एक राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थित है जो लगभग 3.40 एकड़ क्षेत्र में है। इसमें दो मंजिले भवन में 75 शैयाओं की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त इसमें चिकित्सकीय परीक्षण, ब्लड स्टोरेज यूनिट, एम्बुलेंस व एक्स-रे आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यहाँ 10 चिकित्सक एवं 20 सहायक (पैरामेडिकल स्टाफ) कार्यरत है। नगर की जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध सुविधा काफी कम है। राज्य सरकार की दवा वितरण नीति के तहत ड्रग वेयर हाऊस, अन्य जाँच मशीनों व चिकित्सकीय स्टाफ की भी आवश्यकता है। उपलब्ध शैयाओं की औसत 930 व्यक्ति पर एक की दर से बैठती है, तथा प्रत्येक 700 व्यक्तियों पर एक चिकित्सक उपलब्ध है, जबकि लगभग 300 बाह्य रोगी प्रतिदिन चिकित्सा केन्द्र में उपचार हेतु आते हैं। सुजानगढ़ रोड पर लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में एक पशु चिकित्सालय भी स्थित है। इनके अतिरिक्त बाहेती नेत्र चिकित्सालय, उरमूल ट्रस्ट नेत्र चिकित्सालय, सुराना नर्सिंग होम, सुराना क्लिनिक, नेशनल क्लिनिक, संजीवनी अस्पताल व रायसर रोड पर स्टेडियम के समीप भी एक चिकित्सालय है। जिसमें उरमूल ट्रस्ट द्वारा स्थापित नेत्र चिकित्सालय की विशेषज्ञ अस्पतालों में गिनती होती है।

2-6-6 ¼½ | kekftd@ | kldfrd@/kkfeb@, frgkfl d

नगर में सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधियाँ सामान्य स्तर की होने के कारण विभिन्न समुदायों के लोग यहाँ उपलब्ध रिक्त स्थलों पर ही कार्यक्रम आयोजित करते हैं। नगर में विभिन्न स्थलों पर दो मस्जिदों के अतिरिक्त लगभग सोलह प्रसिद्ध मंदिर हैं। जिनमें कृष्ण मंदिर, रोड़ा रोड पर सत्य नारायण मंदिर, जैन चौक में जैन मंदिर, हनुमान धोरा पर हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, कालका देवी, विश्वकर्मा व वीर तेजाजी के मंदिर प्रमुख हैं, जिनमें लोग पूजा-अर्चना व प्रार्थनाएं करते हैं। ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का यहाँ अभाव है।

2-6-6 ¼½ vU; | kepkf; d | fo/kk, a

अन्य सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत धर्मशालाएं, पुलिस थाना, अग्निशमन केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, दूर-संचार केन्द्र, बैंक, क्लब, पुस्तकालय और सामुदायिक भवन इत्यादि आते हैं। इन सुविधाओं के लिए वर्तमान में नोखा में पर्याप्त भूमि उपयोग में ली जा रही है। इस नगर में एक सिनेमा घर भी स्थित है जो वर्तमान में बंद पड़ा है।

2-6-6 ¼ ½ tuki ; ksxh | f0/kk, a

नगर में आवश्यक जन-उपयोगी सुविधाएं संतोषजनक नहीं हैं। अभी तक मल-जल निकास एवं ठोस कचरा प्रबंधन की उचित व्यवस्था नहीं है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट हेतु भूमि दो स्थलों पर चयनित हो चुकी है, परंतु ट्रीटमेंट प्लाण्ट पूर्ण रूप से चालू नहीं हुए हैं। वर्तमान में गंदे पानी व कचरे की निकासी नगर में रिक्त पड़े निचले क्षेत्रों व बन्द पड़ी खानों में की जाती है।

2-6-6 ¼ ½ 1 tyki frl

नोखा में जलापूर्ति का मुख्य साधन ट्यूब वेल्स हैं। नगर में विभिन्न स्थलों पर स्थित 38 ट्यूब वेल्स हैं, जिनकी क्षमता 10 से 25 किलोलीटर प्रति घण्टा है, के जरिये नगर में जलापूर्ति की जाती है। लगभग 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से अभी जलापूर्ति की जा रही है। ट्यूब वेल्स से प्राप्त जल को ओवर हैड टैंक में संचय कर ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा साफ करके सीधे ही सप्लाई कर दिया जाता है। फिलहाल फिल्टर करने की कोई व्यवस्था नहीं है। लगभग 6500 किलोलीटर की माँग के अनुपात में 8000 किलोलीटर जलापूर्ति पर्याप्त है। नोखा नगर के मध्य से बीकानेर-नागौर लिफ्ट वाटर सप्लाई भूमिगत पाईप लाईन गुजर रही है, जिसके जरिये नागौर को पानी की आपूर्ति की जाती है। ये लाईन कुछ दूरी (लगभग 2 किमी) तक नगर के बीच से होकर गुजरती है। परन्तु इसका अभी तक नगर को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। नई जल प्रदाय योजना भी तैयार की जा रही है जिसे वर्ष 2013 तक क्रियान्वित किया जा सकेगा। विभिन्न प्रयोजनार्थ जारी किये गए कनेक्शनों को तालिका-6 में दर्शाया गया है।

rkfydk&6 tyki frl uks[kk&2010

Øekd	mi ; ksx	duD' kuka dh a[; k
1.	घरेलू	7834
2.	वाणिज्यिक	325
3.	औद्योगिक	27
4.	पार्कों में	05
5.	कार्यालयों में	33
	; ksx	8224

स्रोत : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नोखा

2-6-6 ¼ ½ 2 ey&ty fudkl o Bkl dpjk fuLrkj.k o iæ/ku

नोखा में मल-जल निकास की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। वर्षा का पानी खुली नालियों के जरिये ही बाहर निकाला जाता है। अभी लगभग 80 किलोमीटर लम्बी खुली/बंद नालियों की व्यवस्था है। कच्ची बस्तियों में इसकी समुचित व्यवस्था नहीं है। वर्षा के मौसम में पानी इधर-उधर सड़कों पर भरा रहता है तथा यातायात में बाधा आती है। नगर पालिका ने यद्यपि नालियों का निर्माण कराया है फिर भी सीवरेज की व्यवस्था नगर में अभी नहीं है। शहर के कुछ ही भागों में यह व्यवस्था शुरू हो चुकी है, परंतु इनका निकास शहर के मध्य स्थित खुली खानों में बिना उपचारित किये किया जा रहा है। शहर में ठोस

कचरा निस्तारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण ठोस कचरा शहर के मध्य स्थित बंद पड़ी खुली खानों में डाला जा रहा है, जिससे वे भर जावें। इसके कारण शहर में गंदगी व बीमारी फैल रही है। अधिकांश मकानों में सैप्टिक टैंक या सोकेज पिट की व्यवस्था है। नगर को स्वच्छ बनाये रखने के लिए सीवरेज प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है। नगर में सीवरेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट का स्थल चयन किया जा चुका है जो कि अभी विवादित है।

2-6-6 ¼ ½ 3 fo | r vki frl

नगर में विद्युत की आपूर्ति विद्युत वितरण निगम द्वारा की जाती है। 66 के.वी. व 33 के.वी. क्षमता की विद्युत लाईनों के जरिये मुख्य स्रोत भाखड़ा पावर के द्वारा बीकानेर होते हुए 220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन नोखा तक विद्युत पहुँचाई जाती है। नगर में कुल 6.3 मेगा वाट यूनिट बिजली की सप्लाई प्रतिदिन होती है। बढ़ती जनसंख्या व बढ़ते क्रियाकलापों हेतु और अधिक विद्युत की आवश्यकता है। नोखा की विद्युतापूर्ति को तालिका-7 में दर्शाया गया है।

rkfydk&7
fo | r vki frl uks[kk&2010

Øekad	mi ; kx	duD' kuka dh l a ; k
1	घरेलू	14528
2.	औद्योगिक	2323
3.	स्ट्रीट लाइटिंग	63
	dy	16914

स्रोत: विद्युत वितरण निगम(ओ.एंड.एम.), नोखा

2-6-6 ¼ ½ 'e' kku , oa dfcLrku

वर्तमान में श्मशान व कब्रिस्तान स्थल नगर के अन्दरूनी हिस्सों में हैं क्योंकि जब ये बने थे तब वहाँ तक नगर का विकास नहीं हुआ था। वर्तमान में एक स्थल रीको औद्योगिक क्षेत्र, एक राणोलाव तालाब के पास, एक तहसील कार्यालय के दक्षिण में, रायसर रोड पर स्थित ग्रिड सब स्टेशन के उत्तर में व कुछ अन्य स्थलों पर स्थित हैं। इस हेतु वर्तमान में लगभग 38 एकड़ भूमि उपयोग में आ रही है।

2-6-7 ifj | pj .k

परिसंचरण में यातायात व्यवस्था, बस तथा ट्रक टर्मिनल, रेल एवं हवाई सेवा आदि सम्मिलित की जाती हैं। नगर का रोड पैटर्न ग्रिड आयरन पद्धति पर आधारित है। नोखा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 (पूर्व में राजमार्ग संख्या 3) पर स्थित है, जिसमें से राज्य राजमार्ग संख्या 20 गुजरता है, जो नोखा को सुजानगढ़ होते हुए सीकर से जोड़ता है। नगर की मुख्य सड़कें लगभग 60 फीट चौड़ी हैं, इन सड़कों के जंक्शन पर वर्गाकार या आयताकार चौक बने हैं। वर्तमान में जो योजनाएं अनुमोदन हेतु प्राप्त होती हैं, उनमें ग्रिड आयरन पद्धति का समावेश रहता है। रेलवे स्टेशन नगर के बीचों-बीच है व बस स्टैण्ड इसके नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 पर सामने की ओर स्थित है, जो केवल राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के संचालन के लिए नगर पालिका द्वारा बनाया गया है, जिसे वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए नगर से बाहर ले जाया जाना चाहिए। निजी बसों के संचालन के लिए ऐसी कोई जगह निर्धारित नहीं है। ट्रकों आदि के खड़े रहने, मरम्मत आदि के लिए भी कोई जगह निश्चित नहीं है। वर्तमान स्थिति में शहर के बीच स्थित राजमार्ग व रेल लाईन के मध्य स्थित दुकानों के आस पास ट्रकों के खड़े रहने से यातायात पर भारी दबाव पड़ता है जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः प्रस्तावित मास्टर प्लान में इस हेतु स्थान प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है। रेलवे स्टेशन पहले मीटर गेज रेलगाड़ियों के संचालन के लिए था, जो गेज परिवर्तन के बाद ब्रॉडगेज रेलवे लाईन पर चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए हो गया है। नगर के आकार व जनसंख्या को देखते हुए अभी यहाँ हवाई सेवा की सुविधा नहीं है। परिसंचरण हेतु लगभग 517 एकड़ भूमि का उपयोग किया जा रहा है जो कि पूर्व मास्टर प्लान में प्रस्तावित 360 एकड़ से 157 एकड़ अधिक है।

2-6-7 ¼½ ; krk; kr 0; oLFkk

खुदरा व थोक व्यापार नगर के मध्य स्थित होने, मुख्य सड़कों का व रेलमार्ग का नगर के मध्य से निकलने के कारण यातायात का दबाव बहुत बढ़ गया है, इस वजह से यातायात व्यवस्था बदतर हालत में पहुँच गई है। नगर के पुराने व आंतरिक भागों में मार्गों को यथा संभव चौड़ा करने के साथ ही वैकल्पिक उपायों यथा बाईपास, पुल, अण्डरपास आदि पर विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही विभिन्न स्थलों पर पार्किंग हेतु स्थान चिन्हित करने की भी जरूरत है, ताकि सड़कों पर यातायात का दबाव कम हो सके। शहर में अधिकांश भवन बिना सैट बैक्स के निर्मित हैं, जिनमें पार्किंग हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। शहर की सारी पार्किंग सड़कों पर की जाती है। औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में सड़कों पर कब्जे कर उनकी वास्तविक चौड़ाई कम कर दी गयी है, जिनकी वजह से यहाँ पर सुगम यातायात के दृष्टिकोण से काफी समस्या रहती है। पुराने एवं अनधिकृत रूप से बसी बस्तियों में पार्किंग का अभाव है।

2-6-7 ¼½ cl rFkk V'd VfeLuy

नगर में मात्र एक बस स्टैण्ड है जो राजस्थान रोडवेज के लिए निर्मित है। निजी बसों के संचालन हेतु कोई जगह निर्धारित नहीं है। बसें यत्र-तत्र मनमाने तरीके से खड़ी व संचालित होती है। रोडवेज बस स्टैण्ड पर भी पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है। पूर्व मास्टर प्लान में प्रस्तावित बस स्टैण्ड विकसित नहीं हो पाया है। इस समस्या के निराकरण हेतु नये मास्टर प्लान में बस स्टैण्ड व यातायात नगर हेतु समुचित प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।

2-6-7 ¼½ jsy o gokbl l ok

नोखा पहले मीटरगेज रेलवे स्टेशन था लेकिन अब ब्रॉडगेज हो गया है। रेल तथा सड़क मार्ग द्वारा बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, नागौर, अजमेर आदि मुख्यालयों व बड़े शहरों से भली भांति जुड़ा है। रेलवे स्टेशन कस्बे के मध्य में स्थित है। यहाँ पर अभी हवाई यातायात सुविधा उपलब्ध नहीं है।

2-7 ekLVj lyku&2001 dh l eh{kk

नोखा शहर का सर्व प्रथम मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2001 के लिए बनाया गया था। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या प.(10)7/नविवि/81 दिनांक 27.8.1981 को जारी कर नोखा शहर के नगरीय क्षेत्र में 8 राजस्व ग्राम सम्मिलित किये गये थे। यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या प(10)7/नविवि/81 दिनांक 10.5.1989 के तहत अनुमोदित किया गया था जो बाद में क्षितिज वर्ष सितम्बर, 2012 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। नोखा मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुसार वर्ष 2001 में नोखा की जनसंख्या 70,000 हो जाने का अनुमान था जबकि वर्ष 2001 में वास्तविक जनसंख्या 67,214 ही थी। वर्ष 2010 में जनसंख्या 86,790 का अनुमान लगाया गया है। मास्टर प्लान 2001 के अन्तर्गत प्रस्तावित भू-उपयोग योजना 2001 में 3,020 एकड़ नगरीयकरण क्षेत्र प्रस्तावित किया गया था। यह अनुमान लगाया

गया था कि शहर का विकास रेलवे लाईन व राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 के दोनों ओर होगा। वर्ष 2010 में विद्यमान नगरीयकृत क्षेत्र 2,990 एकड़ है, जिसमें 2,687 एकड़ ही विकसित क्षेत्र है। उक्त विकसित क्षेत्र में ग्राम बीकासर, रोड़ा, माडिया, नोखा गांव व चरकड़ा की आबादी क्षेत्र भी जोड़ा गया है। क्योंकि वर्तमान में ये ग्राम नोखा से जुड़ चुके हैं व विकास भी नोखा के साथ हो रहा है।

नोखा का विद्यमान में विकास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 से सुजानगढ को जाने वाली राज्य राजमार्ग संख्या 20 व रोड़ा ग्राम को जाने वाली रोड़ा सड़क के दोनों ओर हुआ है। समय के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कृषि उपज मण्डी, रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, व्यावसायिक दुकानें अवैध रूप से स्थापित ट्रक टर्मिनल आदि विकसित हो चुके हैं। अस्पताल, स्कूल, धर्मशाला आदि जन सुविधा वाले क्षेत्र राज्य राजमार्ग संख्या 20 व शहर के भीतरी क्षेत्र में आए हैं। बजरी की खानों के पास आज भी खुला क्षेत्र ही है। शहर में स्थित विद्यमान राजमार्गों के कारण उक्त क्षेत्र का विकास इन सड़कों के दोनों ओर ही हुआ है। आज नोखा का विकास मास्टर प्लान के अनुसार तो हुआ है, परंतु अधिकांश भाग छितराये आवासीय रूप में विकसित हो रहा है। विद्यमान वाणिज्यिक केन्द्रों के अधिकांश भाग आवासीय विकास हो रहा है। आज भी नगर की अधिकतम सड़कें व गलियाँ आपस में समकोण पर मिलती हैं। यहाँ पर सड़कें पुराने शहर में अच्छी चौड़ाई की प्राप्त होने के पश्चात् भी सड़कों पर यातायात की समस्या रहती है, क्योंकि नगर का अधिकांश भाग बिना सैट बैक्स पर निर्मित है। निजी बस स्टेण्ड, ट्रक टर्मिनल प्रस्तावित होने के बावजूद स्थापित नहीं हो पाये थे। इसका मुख्य कारण है कि उक्त भाग को किसी और उपयोग हेतु विकसित कर दिया गया है। मास्टर प्लान 2001 में शहर के मध्य प्रस्तावित इनवायरमेण्टल प्लान्टेशन जोन का विकास मास्टर प्लान के आधार पर नहीं हो पाया है। उक्त क्षेत्र में नगर पालिका के प्रयासों के बावजूद भी कच्ची बस्ती के रूप में विकास लगातार बढ़ता जा रहा है। मास्टर प्लान 2001 में चारों कोनों में अंकित आरक्षित क्षेत्र के दक्षिणी भागों में अंकित दोनों आवासीय क्षेत्रों का विकास हो चुका है। मास्टर प्लान में प्रस्तावित आवासीय भाग पर छितराए हुए रूप से विकास हो चुका है, तथा प्रस्तावित सड़कों का रूप भी मौके के आधार पर हो गया है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास यथावत् रहा है, लेकिन मास्टर प्लान में अंकित राजकीय एवं अर्द्ध-राजकीय क्षेत्र, वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक सुविधाओं वाले क्षेत्र का विकास मास्टर प्लान के अनुरूप नहीं हो पाया है।

निष्कर्षतः नोखा का विकास की प्रतिशत दर तो लगभग मास्टर प्लान के बराबर ही हुआ है, लेकिन मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोगों के अनुसार विकास नहीं हो पाया है।

fu; kstu dh l dYi uk

प्रत्येक नगर का अपना एक जीवन्त अस्तित्व होता है और इसका स्वरूप मात्र किसी घटना का परिणाम नहीं, बल्कि विकास के पीछे एक पूरा इतिहास पाया जाता है। इस प्रकार एक नगर के भौतिक स्वरूप और इसकी संरचना में उसके विकास के विभिन्न काल एवं अवस्थाओं के दौरान इसके निवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक विकास की छाप आवश्यक रूप से दिखाई देती है। समुदाय के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों के साथ-साथ नगरीय संरचना के प्रतिरूप में भी इतिहास काल के दौरान परिवर्तन होता रहता है।

व्यावसायिक, परिवहन और सामुदायिक सुविधाओं के विकास ने नगरों को अपनी पृष्ठभूमि की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपेक्षाकृत अधिक प्रायोगिक विकास केन्द्रों का स्वरूप प्रदान किया है। पुराने शहरों के बाहरी इलाकों में बजार, उद्यान, विद्यालय, कार्यालय आदि स्थापित किये जा चुके हैं। परिणाम स्वरूप तीव्रगति से विकास होने के कारण कस्बे में छितराये हुए विकास, संकुचित यातायात, असंगत उपयोग और सामुदायिक सुविधाओं का अभाव आदि अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। अतः नगर नियोजन का उद्देश्य इन समस्याओं को न्यूनतम करना और भविष्य में नागरिकों के रहने के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है।

3-1 fu; kstu dh uhfr; k;

भौतिक नियोजन एक ऐसी पद्धति है, जिसके द्वारा नगर के भावी आकार, स्वरूप, प्रतिरूप, विकास की दिशा आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय करने का प्रयास किया जाता है। एक बार नगर के सम्बन्ध में ऐसे वृहद् निर्णय कर लिए जाते हैं तो दिन-प्रतिदिन कि समस्याओं पर उचित समाधान हेतु इस सम्पूर्ण ढाँचे के संदर्भ में ऐसे प्रत्येक हल का क्रियान्वयन नगर को अपने अन्तिम लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम ओर आगे बढ़ाता है। इस प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत पृथक से न तो कोई निर्णय ही लिया जा सकता है और न ही किसी कार्यक्रम को एकाकी रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है।

नियोजन की शब्दावली में इस प्रकार के समग्र ढांचे को मास्टर प्लान की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार एक मास्टर प्लान नगर के भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों और सिद्धान्तों का एक लिखित विवरण है। इसके साथ एक भू-उपयोग योजना तथा अन्य मानचित्र भी होते हैं। भू-उपयोग योजना इन नीतियों और सिद्धान्तों को स्थानगत विस्तार के रूप में रूपान्तरित करने की विधि है। यह वृहद परिसंचरण व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और कार्यों के वितरण को दर्शाता है। इस दृष्टि से मास्टर प्लान नगर प्रशासन और जनता दोनों के लिए निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिन्हें बनाये रखने की प्रबल जन आकांक्षाएं हो सकती हैं। अतः कतिपय मान्यताएं निर्धारित करके उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा करनी पड़ती है। इन्हीं उद्देश्यों के अनुरूप नियोजन की नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। इन नीतियों और उद्देश्यों के संदर्भ में नियोजन के सिद्धान्तों को विकसित किया जाता है। उक्त बातों को आधार बनाकर मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। नोखा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया में उक्त सभी बिन्दुओं की पालना की गयी है।

3-2 fu; kst u ds fl) kUr

नोखा की बढ़ती जनसंख्या, नगर के विकास की दिशा तथा भविष्य में होने वाले औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए भू-उपयोग के अनुरूप भूमि का आकलन किया जाना चाहिए ताकि इसी अनुरूप समन्वित नियोजित विकास हो सके। उपर्युक्त वर्णित नियोजन नीतियों की पालना हेतु नियोजन के निम्नांकित सिद्धान्त निश्चित किये गये हैं :-

1. कस्बे में खाली भूमि उपलब्ध है, जिन पर अतिक्रमण तथा अनियोजित विकास की प्रबल सम्भावना है। अतः इन सभी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास करने की दृष्टि से एक एकीकृत एवं समग्र विकास योजना तैयार की जानी चाहिए।
2. नोखा के अधिसूचित नगरीय क्षेत्र के लिए विस्तृत परिक्षण योजना तैयार की जानी चाहिए और नहर एवं जलाशय आदि के किनारे पर बाग एवं उद्यान विकसित किया जाना चाहिए।
3. भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शहर में सुव्यवस्थित/एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रावधान रखा जाना चाहिए तथा नगर के समीप प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए।
4. पुराने कस्बे में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए एवं स्थान तथा क्षेत्रीय माँग को पूरा करने हेतु उपयुक्त स्थानों पर व्यावसायिक सुविधायें पदानुक्रम से विकसित की जानी चाहिए।
5. संकड़ी नगरीय सड़कों पर भारी यातायात को निषेध करने और उसे अन्यत्र संचारित करने के लिए उपयुक्त स्थान संधारित कर अनाज, भवन निर्माण सामग्री, लकड़ी और लोहा बाजार आदि जो भारी यातायात को प्रोत्साहन देते हैं, ऐसे थोक बजारों हेतु पर्याप्त भूमि आरक्षित की जानी चाहिए।
6. आवासीय घनत्व के अनुरूप सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सेवाओं का विवेकसम्मत वितरण किया जाना चाहिए।
7. नगर के लिए परिसंचरण प्रतिरूप की एक ऐसी पदानुक्रमी व्यवस्था निश्चित की जाये जिससे विभिन्न चौड़ाई की सड़कों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके।

8. नगर की परिधि पर किसी प्रकार से अनियन्त्रित विकास को रोकने के उद्देश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर एक परिधि नियंत्रण पट्टी बनाई जाए । परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्दर की ग्रामीण बस्तियों के विकास को नियन्त्रित एवं नियोजित किया जाना चाहिए ।
9. नगर के मध्य स्थित बंद पड़ी बजरी की खानों पर किसी प्रकार का विकास जन हानि सिद्ध हो सकता है। अतः उक्त क्षेत्र को खुले क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है ।

4

नोखा के नगरीय क्षेत्र

नोखा के नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत 14 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। जिनका कुल क्षेत्रफल 74,848 एकड़ है। वर्ष 2010 की अनुमानित जनसंख्या 86,790 है तथा वर्ष 2031 तक लगभग 1,70,000 हो जाने का अनुमान है। इस बढ़ी हुई जनसंख्या एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रयोजनार्थ भूमि की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विस्तृत योजना तैयार की गयी है।

4-1 नोखा के नगरीय क्षेत्र

वर्ष 1991 में नोखा की जनसंख्या 35854 थी जो वर्ष 2001 में बढ़कर 67,214 तथा वर्ष 2010 में 86,790 हो गयी है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 1971 से 1981 दशक के मध्य 114.93 प्रतिशत रिकार्ड की गयी। इसका मुख्य कारण यहाँ पर औद्योगिक विकास तथा रोजगार के साधनों की सुविधा का मिलना, इसका गाँवों से जनसंख्या से पलायन के अतिरिक्त एक कारण पूर्वी राज्यों जैसे असम, बंगाल आदि से व्यापारी वर्ग का व्यापार करने की इच्छा से नोखा में आना भी है, तथा इसी कारण विभिन्न भागों से लोगों का यहाँ पर आना भी जनसंख्या वृद्धि का कारण रहा है। पिछले तीन दशकों में यहाँ सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों की स्थापना हुई है। इस कारण यहाँ पर कर्मचारियों का आना भी जनसंख्या की वृद्धि का कारण रहा है। बाद के दशकों में वृद्धि दर में कमी आई है, जिसका मुख्य कारण लोगों का शिक्षित होना, परिवार कल्याण की नीतियों को अपनाना तथा गाँवों से नोखा की ओर पलायन कम होना भी है।

बीकानेर शहर के नजदीक एक मात्र "बी" श्रेणी की मण्डी होने के कारण आस पास के क्षेत्र में इस नगर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। विकास की गति एवं भावी विकास की संभावनाओं के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2031 में नोखा की जनसंख्या लगभग 1,70,000 हो जाएगी। अनुमान लगाते समय नोखा के प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र होने के कारण जनसंख्या वृद्धि के दोनों घटक प्राकृतिक वृद्धि तथा प्रवासी जनसंख्या को भी दृष्टिगत रखा गया है। वर्ष 1981 से 2031 तक नोखा की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमानों को तालिका-8 में दर्शाया गया है:-

तालिका-8

नोखा के नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या का अन्तर, 1981-2031

वर्ष	जनसंख्या	जनसंख्या का अन्तर	प्रतिशत वृद्धि
------	----------	-------------------	----------------

			दर
1981	24,119	—	—
1991	35,854	+11,735	48.65
2001	67,214	+31,360	87.46
2010 (अनुमानित)	86,790	+19,576	29.12
2021 (अनुमानित)	1,25,410	+38,620	44.49
2031 (अनुमानित)	1,70,000	+39,345	35.55

स्रोत:—भारतीय जनगणना एवं विभागीय अनुमान

4-2 0; kol kf; d l j puk

वर्ष 2001 में नोखा का सहभागिता अनुपात 24.55 प्रतिशत था। क्षितिज वर्ष 2031 में शहर की व्यावसायिक संरचना भविष्य की आर्थिक सम्भावनाओं और वर्तमान परिस्थितियों के साथ अन्य शहरों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है। क्षितिज वर्ष तक कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात 30 होने का अनुमान है। अर्थात् वर्ष 2001 में 16501 कार्यशील व्यक्तियों की तुलना में वर्ष 2031 में 51,000 कामगारों की संख्या होने की संभावना है।

यह अनुमान है कि नोखा व्यापार एवं वाणिज्य, अन्य सेवाओं तथा औद्योगिक क्षेत्र में विकास करता रहेगा। इस प्रकार नगरीय गतिविधियों में वृद्धि के कारण खेतीहर मजदूरों के प्रतिशत में कमी आएगी तथा शेष क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत में वृद्धि होगी। क्षितिज वर्ष में व्यावसायिक संरचना और प्रत्येक वर्ग में श्रमिकों का विवरण तालिका संख्या-9 में दर्शाया गया है:—

rkfydk&9

vupkfur 0; kol kf; d l j puk] uks[kk & 2031

Øekad	0; ol k;	dkexkjka dh l a; k	ifr'kr
1.	कृषि, उत्खनन व तत्संबंधी कार्य	1,530	3
2.	उद्योग	10,200	20
3.	निर्माण कार्य	5,100	10
4.	व्यापार एवं वाणिज्य	17,850	35
5.	यातायात एवं संचार	4,590	9
6.	अन्य सेवाएं	11,730	23
	dy dkexkj	51]000	100

स्रोत— नगर नियोजन विभागीय अनुमान

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि वर्ष 2031 में नोखा में 35 प्रतिशत कामगार वाणिज्यिक एवं व्यापारिक कार्यकलापों में कार्यरत रहेंगे। औद्योगिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण 20 प्रतिशत भागीदारी रहेगी। यातायात एवं संचार कार्यकलापों में 9 प्रतिशत तथा अन्य सेवाओं में 23 प्रतिशत रहने का अनुमान है। शहर की वृद्धि प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर ही भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए समुचित प्रस्ताव तैयार किये गये हैं।

4-3 uxjh; {ks=

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.10 (7) नविवि/3/81 जयपुर दिनांक 02.11.2011 व अधिसूचना क्रमांक प.10(7)नविवि/3/81 दिनांक 18.9.2012 के द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत नोखा के नगरीय क्षेत्र में नोखा सहित 14 राजस्व ग्राम अधिसूचित किये गये हैं। इनका कुल अधिसूचित क्षेत्र 74,848 एकड़ है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर अनियोजित विकास को नियंत्रित करने की दृष्टि से परिधि नियंत्रण क्षेत्र निर्धारित किया गया है। अधिसूचित राजस्व ग्रामों की सूची परिशिष्ट-3 व 4 पर दी गई है।

4-4 uxjh; dj.k ; kX; {ks=

नोखा की जनसंख्या वर्ष 2010 में 86,790 से बढ़कर मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2031 में 1,70,000 होने का अनुमान है। योजना अवधि में लगभग 83,210. व्यक्तियों की वृद्धि होगी। विकास के मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए बढी हुयी जनसंख्या के लिए विभिन्न गतिविधियों हेतु कुल 11061 एकड़ विकास योग्य क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। नगर का प्रस्तावित जन घनत्व लगभग 16 व्यक्ति प्रति एकड़ होने का अनुमान है। भूमि की उपलब्धता तथा वर्तमान विकास से प्रतीत होता है कि नगरीय विकास नोखा के चारों तरफ ही होगा।

4-5 ; kst uk {ks=

विद्यमान विशेषताओं एवं आर्थिक क्रियाकलापों के लिए भू-उपयोग सहित प्राकृतिक अवशेष तथा विभिन्न गतिविधियों के पारस्परिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए नोखा को 5 योजना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र को छोड़कर शेष प्रत्येक योजना क्षेत्र, आवासीय, वाणिज्यिक, आमोद-प्रमोद, शैक्षणिक एवं अन्य सुविधाओं की दृष्टि से आत्म निर्भर होंगे।

rkfydk&10

; kst uk {ks=] uks[kk % 2031

Øekrd	; kst uk {ks= dk uke	{ks=Qy ¼, dM+ e½	vupkfur tul d; k
अ	उत्तरी-पूर्वी योजना क्षेत्र	2,548	30,000
ब	दक्षिणी-पूर्वी योजना क्षेत्र	2,065	40,000
स	दक्षिणी-पश्चिमी योजना क्षेत्र	4,050	60,000
द	उत्तरी-पश्चिमी योजना क्षेत्र	2,777	40,000
य.	परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र	63,408	--
	dy vf/kl fpr uxjh; {ks=	74]848	

स्रोत- नगर नियोजन विभाग का आकलन

प्रत्येक योजना क्षेत्र की सीमाओं को नगरीयकृत क्षेत्र के मानचित्र में राजस्व ग्राम का नाम, विद्यमान नगरीय क्षेत्र, वर्ष 2031 के लिए प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमाओं के साथ दर्शाया गया है।

4-5-1 mÜkj h&i whz ; kst uk {ks=

यह योजना क्षेत्र बीकानेर-जोधपुर को जाने वाली राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 89 व सुजानगढ को जाने वाली सड़क राज्य राजमार्ग संख्या 20 के मध्य स्थित भूमि का उत्तरी भाग है। इस योजना क्षेत्र में

नोखा शहर की पुरानी आबादी का कुछ भाग, ग्राम बीकासर व ग्राम माडिया की आबादी, नोखा में रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र व बीकानेर को जाने वाली रेल लाईन आदि स्थित है। इस योजना क्षेत्र में एक, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट, 1 नया बस स्टेण्ड, रीको विस्तार हेतु औद्योगिक क्षेत्र व गोदाम प्रस्तावित किए गए हैं। इस योजना के परिक्षेत्र में कुल 2548 एकड़ प्रस्तावित की गयी है। उक्त योजना क्षेत्र का बड़ा भाग एक तालाब की भूमि में सम्मिलित है, जिसके आस पास का क्षेत्र खुला रखा गया है।

4-5-2 nf{k.kh&i whl ; kst uk {ks=

यह योजना क्षेत्र बीकानेर-जोधपुर को जाने वाली राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 89 व सुजानगढ को जाने वाली सड़क राज्य राजमार्ग संख्या 20 के मध्य स्थित भूमि का दक्षिणी भाग है। इस योजना क्षेत्र में नोखा की पुरानी आबादी का कुछ भाग, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी कार्यालय जैसे नगर पालिका, तहसील, न्यायालय, पंचायत समिति, पुलिस थाना, 220 के वी विद्युत सब-स्टेशन व नगर स्तरीय विद्यालय, स्टेडियम इत्यादि स्थित हैं। इस भाग में काफी सरकारी जमीन उपलब्ध है। इस योजना क्षेत्र में वाणिज्यिक केन्द्र आदि प्रस्तावित हैं। नगर पालिका के अनुरोध पर इस योजना क्षेत्र में एक टैक्सी स्टेण्ड भी प्रस्तावित किया गया है। इस योजना क्षेत्र में शहर के मध्य स्थित पुरानी खुली बंद पड़ी बजरी खान स्थित है, जिसे उक्त योजना क्षेत्र में विशेष क्षेत्र की तरह प्रस्तावित किया जा रहा है। इस क्षेत्र में किसी प्रकार की जन हानि न हो, इसलिए इसे खुले क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना क्षेत्र में सरकारी जमीन उपलब्ध होने के कारण सरकारी कार्यालय, जन सुविधा व निम्न एवं अल्प आय वाले व्यक्तियों के लिए आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। इस योजना परिक्षेत्र में कुल 2065 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है।

4-5-3 nf{k.kh&i f' peh ; kst uk {ks=

यह योजना क्षेत्र नागौर-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 व शहर के मध्य से रोड़ा ग्राम को जाने वाली रोड़ा रोड व रोड़ा ग्राम से पाँचू को जाने वाली सड़क (एम डी आर 37) के मध्य स्थित भूमि का दक्षिणी भाग है। इस योजना क्षेत्र में ग्राम रोड़ा व चरकड़ा ग्राम की आबादी, नोखा गाँव के पुरानी आबादी क्षेत्र का कुछ भाग व नया योजना क्षेत्र जैसे तिरुपति नगर आदि स्थित है। उक्त योजना क्षेत्र में शहरी स्तर का एक स्टेडियम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट, ट्रक टर्मिनल, सिटी सेण्टर व व्यावसायिक संस्थान आदि प्रस्तावित किए गए हैं। उक्त योजना क्षेत्र में कुल 4050 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

4-5-4 mÜkj h&i f' peh ; kst uk {ks=

इस योजना क्षेत्र में नागौर-बीकानेर राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 89 व शहर के मध्य से रोड़ा ग्राम को जाने वाली सड़क रोड़ा रोड व रोड़ा ग्राम से पांचू को जाने वाली सड़क (एम डी आर 37) का उत्तरी भाग सम्मिलित है। इस योजना क्षेत्र में नोखा की कुछ पुरानी आबादी, नोखा गाँव के आबादी क्षेत्र, बंद पड़ी बजरी खानें, कृषि ऊपज मण्डी, शहर का सबसे पुराना स्कूल (बाबा छोटूनाथ विद्यालय) स्थित है। उक्त योजना क्षेत्र में बजरी की खाने होने के कारणवश अधिकाधिक क्षेत्र खुला रखा गया है। इस क्षेत्र में शहर के स्तर का ट्रक टर्मिनल, थोक बजार व सरकारी कार्यालय आदि ही प्रस्तावित किए गए हैं। इस योजना क्षेत्र में शहर के मध्य स्थित पुरानी खुली बंद पड़ी बजरी खान स्थित है, जिसे उक्त योजना क्षेत्र में विशेष क्षेत्र की तरह प्रस्तावित किया जा रहा है। इस क्षेत्र में किसी प्रकार की जन हानि न हो, इसलिए इसे खुले क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उक्त योजना क्षेत्र में कुल 2777 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

4-5-5 ifj/k fu; æ.k i êh {ks=

उपर्युक्त तीनों क्षेत्रों तथा नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर तथा अधिसूचित नगरीय सीमा के मध्य का क्षेत्रफल परिधि नियंत्रण पट्टी के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस क्षेत्र में ग्रामीण आबादी के विद्यमान स्वाभाविक विकास के साथ-साथ कृषि, वृक्षारोपण, डेयरी फार्मिंग, कृषि आधारित लघु उद्योग, फार्म हाऊस, रिसोर्ट, पेट्रोल पम्प, उत्खनन आदि अन्य संबंधित गतिविधियां अनुज्ञेय हैं। शहर के भावी समेकित विकास की दृष्टि से परिधि नियंत्रण पट्टी का अहम् महत्व रहेगा। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 63,408 एकड़ है।

5

Hk& mi ; ksx ; kst uk

भू-उपयोग योजना विभिन्न योजनागत नीतियों और सिद्धान्तों का स्थानिक विस्तार के रूप में स्थानान्तरण है। इसकी रचना नगर की विद्यमान विशेषताओं एवं सम्भावित आर्थिक संरचना के आधार पर की गयी है। नगरीय भूमि दुर्लभ संसाधन है, अतः इसका उपयोग जहाँ तक संभव हो, समस्त नागरिकों की आवश्यकताओं तथा विधि-सम्मत आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का संतुलित तथा समन्वित विकास इसका प्रमुख लक्ष्य है। विद्यमान परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न अध्ययनों के आधार पर नियोजन के मानदण्डों का निर्धारण किया गया है और उन्ही के अनुरूप विभिन्न नगरीय कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकताओं का आकलन किया गया है। क्षेत्र विशेष की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए भू-उपयोग योजना में विभिन्न नगरीय कार्यों की स्थल स्थिति की पहचान दर्शायी गयी है। क्षितिज वर्ष 2031 के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग योजना हेतु मदवार भू-उपयोग में कमी/अधिकता, मदवार वर्ष 2011-2031 के दौरान अतिरिक्त जनसंख्या के लिए आवश्यकता, क्षितिज वर्ष के भू-उपयोग प्रस्तावों के फलस्वरूप आधार वर्ष के भू-उपयोग में कमी/अधिकता तथा क्षितिज वर्ष 2031 में कुल आवश्यक क्षेत्रफल एकड़ में आकलित किया गया है। इस प्रकार क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग हेतु कुल 11440 एकड़ भूमि विकास योग्य क्षेत्र के अधीन प्रस्तावित की गयी है। उक्त विकास योग्य क्षेत्र में 63.2 प्रतिशत आवासीय, 0.8 प्रतिशत राजकीय (सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय) 5.6 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक, 3.60 प्रतिशत वाणिज्यिक, 7.1 प्रतिशत औद्योगिक, 4.8 प्रतिशत मिश्रित भू-उपयोग, 4.8 प्रतिशत आमोद-प्रमोद तथा 10.1 प्रतिशत परिसंचरण हेतु प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भू-उपयोग विवरण तालिका-11 में दर्शाया गया है :-

rkydk&11

i Lrkfor Hk&mi ; ksx] uks[kk&2031

Ø- l a	Hk&mi ; ksx	{ks=Qy ¼, dM+ e#	fodkl ; kX; {ks= dk ifr'kr	uxjh; dj.k ; kX; {ks= dk ifr'kr
1.	आवासीय	6988	63.2	61.1
2	मिश्रित भू-उपयोग	536	4.8	4.7
3.	वाणिज्यिक	395	3.6	3.5
4.	औद्योगिक	782	7.1	6.8
5.	राजकीय	78	0.8	0.7
6.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	619	5.6	5.5
7.	आमोद- प्रमोद	534	4.8	4.6
8.	परिसंचरण	1129	10.1	9.8
	dy fodkl ; kX; {ks=	11]061	100-00	93-7
9.	कृषि	114	--	1.00

10.	जलाशय/नाले,जोहड़ पायतन आदि	265	---	2.3
111	वन भूमि	00	---	0.0
	dy uxjh; dj.k ; kX; {ks=	11440	&&&	100

स्त्रोत:-सर्वेक्षण एवं आकलन

5-1 vkokl h;

आवासीय क्षेत्रों की योजना इस ढंग से तैयार की गयी है कि इनसे स्वस्थ सामुदायिक पर्यावरण को प्रोत्साहन मिले तथा कार्य केन्द्रों और आमोद-प्रमोद के स्थलों तक जाने के लिए समय और दूरी में कमी हो। निकटवर्ती प्रतिरूप के अनुसार युक्तिसंगत आवासीय विकास नागरिकों को सुविधाजनक जीवन प्रदान कर सकेगा, जिनमें सांस्कृतिक एवं सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होंगे और लोगों को आवासीय बस्तियों के निकट दिन-प्रतिदिन की लोकोपयोगी सेवाएं और सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी। इस दृष्टि से लगभग 1,70,000 लोगों को बसाने के लिए कुल 6988 एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित की गयी है।

आधार वर्ष में नोखा में विकसित क्षेत्र का 58.80 प्रतिशत भाग अर्थात् 1582 एकड़ क्षेत्र आवासीय उपयोग के अन्तर्गत था। इस तरह आवासीय जन घनत्व कुल 55 व्यक्ति प्रति एकड़ आंकलित होता है, जिसे क्षितिज वर्ष 2031 तक लगभग 25 व्यक्ति प्रति एकड़ तक किया जाना प्रस्तावित है। इस तरह क्षितिज वर्ष 2031 के लिए आवासीय प्रयोजनार्थ कुल 6988 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

5-1-1 vkokl u

आवास समुदाय की एक मूल आवश्यकता है और इसके अन्तर्गत सर्वाधिक नगरीय भूमि की आवश्यकता होती है। यह प्रस्तावित किया जाता है कि नगर पालिका आवास परियोजना तैयार करे और समाज के कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों से ऋण सुविधा उपलब्ध कराये। वर्तमान में चल रही योजनाओं के अतिरिक्त स्थानीय निकाय को भूखण्ड विकास के कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि व्यवस्थित क्रम में लोगों की आवासीय मांग को पूरा किया जा सके। आवासीय क्षेत्रों में संचालित उद्योगों को भविष्य में उक्त क्षेत्रों से हटाकर या तो शहर के बाहरी क्षेत्रों में या रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित किया जाएगा।

5-1-2 vukf pkfjd | DVj ; kst uk

वर्तमान में पुराने विकसित क्षेत्रों में अनौपचारिक सैक्टर का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कस्बे में अव्यवस्थित रूप से कुछ छोटे-छोटे व्यवसाय चल रहे हैं। अतः इनको व्यवस्थित रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप भविष्य में विकसित की जाने वाली योजनाओं में अनौपचारिक सैक्टर हेतु उचित स्थल प्रस्तावित किये जावेंगे।

5-1-3 vQkMicy gkmfl x {ks=

राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए एवं निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत प्रोजेक्ट के तहत एवं शहर के मध्य स्थित बन्द पड़ी बजरी खानों के असुरक्षित क्षेत्र पर बसे हुए बेघर

परिवारों के पुनर्वास हेतु अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी के तहत मास्टर प्लान में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में आवास उपलब्ध कराये जायेगे।

5-1-4 dPph cfLr; k;

नगर पालिका को चाहिए कि भविष्य में कच्ची बस्तियों व अनियोजित आवासीय क्षेत्रों के विस्तार को हतोत्साहित करने के प्रयोजन से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाए तथा विद्यमान कच्ची बस्तियों के क्षेत्रों का नियोजित विकास एवं सुधार चरणबद्ध क्रम में किया जावे। शहर के मध्य स्थित बन्द पड़ी बजरी खानों में समय-समय पर जो बेघर परिवार कच्ची बस्ती के रूप में बस चुके हैं, उनके लिए नगर पालिका नोखा द्वारा दक्षिणी-पश्चिमी योजना क्षेत्र में प्रस्तावित अफोर्डेबल हाऊसिंग क्षेत्र में बसाने की योजना बनाई जा रही है।

5-2 fefJr Hk&mi ; kx %\vkokl h;] okf.kfT; d] l ko\kfud , oa v}&l ko\kfud%

नोखा एवं इसके आसपास हो रहे विकास को मद्देनजर रखते हुए भविष्य में सुनियोजित विकास हेतु नोखा गांव की राजस्व सीमा तक जोधपुर से बीकानेर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 के सहारे-सहारे विकास योग्य क्षेत्र के पश्चात् 500 फीट गहराई में सड़क के दोनों ओर मिश्रित भू-उपयोग अंकित किया गया है। दूसरा मिश्रित भू-उपयोग सुजानगढ को जाने वाले राज्य राजमार्ग संख्या 20 पर माडिया ग्राम के सामने दूसरी ओर नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के पश्चात् 132 के. वी. एच. टी. लाईन तक 500 फीट गहराई तक अंकित किया गया है। मिश्रित उपयोग का तीसरा भाग नोखा के दक्षिणी भाग में नागौर की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 के पश्चिमी ओर व राष्ट्रीय राजमार्ग से राजस्व ग्राम चरकड़ा को जाने वाली सड़क के दोनों ओर 500 फीट गहराई तक प्रस्तावित किया गया है। चरकड़ा का विकास तीव्र गति से हो रहा है। अतः चरकड़ा के राजस्व रिकार्ड में वर्णित घोषित आबादी क्षेत्र के पश्चात् 200 मीटर की परिधि में भी उक्त उपयोग प्रस्तावित किया गया है। उक्त मिश्रित उपयोग में आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक भू-उपयोग अनुज्ञेय रहेंगे।

5-3 okf.kfT; d

नोखा वाणिज्यिक, व्यापार एवं वितरण का एक प्रमुख केन्द्र बना रहेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि सन् 2031 तक शहर के विभिन्न वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में कुल कार्यशील व्यक्तियों का 35 प्रतिशत (17858 व्यक्ति) कार्यरत रहेंगे। मास्टर प्लान में कुल 395 एकड़ क्षेत्रफल इन क्रियाकलापों हेतु प्रस्तावित किया गया है। नोखा में भौतिक विकास के साथ-साथ वाणिज्यिक गतिविधियों का भी विकास हुआ है। पिछले दो दशकों में शहर के प्रमुख मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण यातायात व पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही है। कस्बे में वाणिज्यिक गतिविधियाँ मुख्य रूप से आंतरिक भाग में रेलवे स्टेशन से मुख्य सड़क के दोनों ओर एवं सदर बजार में केन्द्रित हैं। वाणिज्यिक गतिविधियों को अधिक तार्किक व सुसंगत बनाने तथा दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु अनावश्यक आवागमन से बचने के लिए मास्टर प्लान में वाणिज्यिक गतिविधियों की पदानुक्रम व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, ताकि क्षेत्र में वाणिज्यिक सुविधाएं सहज ही उपलब्ध हो सकें। वर्ष 2001 में वाणिज्यिक गतिविधियों में 5775 व्यक्ति कार्यरत थे, जो क्षितिज वर्ष में 17858 व्यक्ति होने की सम्भावना है। आधार वर्ष में विकसित क्षेत्र का 5.4 प्रतिशत भाग अर्थात् 144 एकड़ क्षेत्र वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग के अन्तर्गत था, जो क्षितिज वर्ष 2031 में 3.6 प्रतिशत अर्थात् 395 एकड़ प्रस्तावित किया गया है।

सभी प्रमुख, उक्त प्रमुख एवं अन्य मुख्य सड़कें जिनका मास्टर प्लान में मार्गाधिकार 60 फीट या उससे अधिक हो, उनसे लगती हुई भूमि पर वाणिज्यिक, खुदरा व्यापार तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक क्रियाकलाप अनुज्ञेय होंगे। इस हेतु भू-उपयोग परिवर्तन सक्षम अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा। ये विकास एकल सम्पत्ति की गहराई अथवा 100 फीट की गहराई जो भी कम हो, में ही किए जा सकेंगे। जहाँ जिस सड़क की वास्तविक चौड़ाई अथवा मार्गाधिकार, मास्टर प्लान में दर्शाए गए प्रस्तावित मार्गाधिकार से कम है, वहाँ एकल सम्पत्ति की गहराई उतनी ही बढ़ जाएगी, जितनी की उस सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई के उस तरफ एवं उस भाग में मध्य रेखा से कम पड़ रही हो। एकल सम्पत्ति की यह बढ़ी हुई गहराई जो कि सड़क के मार्गाधिकार कम होने के कारण मिली है, यह अनिवार्य रूप से सैट बैक के साथ खुली छोड़ी जाएगी, जब तक कि स्थानीय निकाय सड़क के विकास अथवा अन्य सेवाओं के विस्तार हेतु इस भूमि का अधिग्रहण नहीं कर लेती है।

विद्यमान वाणिज्यिक गतिविधियों का संक्षिप्त उल्लेख के साथ-साथ मास्टर प्लान में प्रस्तावित पदानुक्रम वाणिज्यिक गतिविधियों का विवरण तालिका-12 में दर्शाया गया है :-

rkfydk&12
i Lrkfor iæqk okf.kfT; d {ks=ka dk fooj.k uks[kk&2031

Ø-l a	fooj.k	{ks=Qy ¼, dM+ e#
1.	खुदरा व्यापार एवं वाणिज्यिक केन्द्र	198
2.	थोक व्यापार एवं विशेष बाजार	82
3.	भण्डारण एवं गोदाम	115
	; ksx	395

स्रोत- नगर नियोजन विभाग का आकलन

5-3-1 [kqjk 0; ki kj

शहर का मुख्य बाजार क्षेत्र केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र माना जाता है। नोखा में वर्तमान में संपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र करबे का आंतरिक भाग एवं उसके आसपास का क्षेत्र है एवं इसके विस्तार के लिए भीतरी भागों में अधिक सम्भावना नहीं है। बहुत से ऐतिहासिक, परम्परागत एवं आर्थिक कारणों की वजह से पुराने केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र यथावत् कार्य करते रहेंगे। ये केन्द्र प्रमुख रूप से सदर बजार वाटर वर्क्स रोड पर तथा रेलवे स्टेशन की पूर्व दिशा में सुजानगढ रोड से तहसील रोड पर विकसित हो गए हैं। ये क्षेत्र आसपास के क्षेत्रों के मूलभूत दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कुछ केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्रों को खुदरा व्यापार के रूप में बाहरी क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर यातायात, पार्किंग एवं सामान ले जाने की समस्याएं उत्पन्न हो गयी है। यहाँ पर उपलब्ध खाली स्थलों का चयन कर पार्किंग स्थल विकसित किये जाने का प्रस्ताव है। शहर में नई योजना में आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थलों पर खुदरा व्यापार हेतु 121 एकड़ भूमि अतिरिक्त प्रस्तावित की गई है।

5-3-2 Fkksd 0; ki kj , oa fo'ks'k cktkj

वर्तमान में बीकानेर रोड पर कृषि उपज मण्डी के रूप में लगभग 35 एकड़ क्षेत्र में थोक व्यापार केन्द्र स्थापित है। यह पूर्ण रूप से विकसित है तथा भविष्य में विस्तार की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मास्टर प्लान में थोक व्यापार क्षेत्र को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र योजना क्षेत्र में नोखा गांव के उत्तरी भाग पर लगभग 47 एकड़ क्षेत्रफल में थोक व्यापार केन्द्र हेतु स्थल आरक्षित किया गया है। इस स्थल में भविष्य में योजना तैयार करते समय सब्जी, लकड़ी तथा आयरन मार्केट हेतु स्थल निर्धारित किए जाएंगे। उक्त क्षेत्र को ट्रक टर्मिनल के पास शहर के बाहर ही प्रस्तावित किया गया है ताकि यातायात पर किसी भी प्रकार का असर न पड़े।

5-3-3 Hk.Mkj . k , oa xknke

औद्योगिक गतिविधियों एवं कृषि उत्पादन के बढ़ने से कस्बे में अतिरिक्त भण्डारगृहों एवं गोदामों की जरूरत होगी। नोखा कस्बे में भण्डारण हेतु लगभग 32 एकड़ भूमि बीकानेर सड़क पर कृषि उपज मण्डी के उत्तर में व सुजानगढ सड़क पर उपलब्ध है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस हेतु मास्टर प्लान में उत्तरी-पूर्वी योजना क्षेत्र में बीकानेर रोड पर रीको क्षेत्र के उत्तर में प्रस्तावित 200' चौड़े बाईपास पर लगभग 83 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है, ताकि भवन निर्माण, बजार, ट्रांसपोर्ट नगर, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों हेतु पर्याप्त गोदामों की व्यवस्था की जा सके।

5-3-4 okf.kfT; d dlnz

पुराने व्यापारिक क्षेत्रों में आज यातायात संबंधी अत्यधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पुराने व्यापारिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र शहर के केन्द्र में घने बसे भागों में स्थित हैं, जहाँ पर न तो पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है एवं न ही सामान को लादने एवं उतारने की सुविधा उपलब्ध है, अतः केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र से यातायात के भार को कम करने के लिए तथा व्यापार को उचित स्थानों पर वितरित किये जाने तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि शहर के चारों तरफ व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भूमि उपलब्ध हो सके। उप-वाणिज्यिक केन्द्र में खुदरा वाणिज्यिक दुकानें, सिनेमा, होटल, पेट्रोल पम्प एवं सामुदायिक भवन आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस हेतु विभिन्न स्थानों पर उक्त उपयोग प्रस्तावित किया गया है।

मुख्य वाणिज्यिक क्षेत्र एवं सामुदायिक केन्द्रों के अतिरिक्त मास्टर प्लान में बहुत सी स्थानीय एवं सुविधाजनक दुकानों का भी प्रावधान किया गया है। इनकी स्थिति विस्तृत योजना बनाते समय दर्शायी जायेगी। ऐसे केन्द्रों में खुदरा दुकानें, सर्विस दुकानें, डाकघर एवं सामुदायिक भवन आदि होंगे। ये केन्द्र योजना क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र से 15 से 20 मिनट के समय की दूरी पर स्थित होंगे। योजना क्षेत्रों में दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीददारी करने के लिए स्थानीय दुकानें भी प्रस्तावित की गयी हैं।

5-4 vkS| kfxd

उद्योगों की दृष्टि से नोखा शहर ने काफी उन्नति की है। लघु/मध्यम व घरेलू औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ यहाँ पुरानी औद्योगिक इकाइयों यथा दाल व ऑयल मिल, ग्वार गम, सीमेण्ट फैक्टरी, बिजली के बल्ब, तार इत्यादि के अतिरिक्त रीको औद्योगिक क्षेत्र में काफी नई इकाइयाँ स्थापित हुई हैं। क्षेत्रीय मुख्यालय बीकानेर के समीप स्थित होने से कच्चा माल उपलब्ध होने व तैयार माल बाहर भेजने व विक्रय की विपुल संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही उत्तरी योजना क्षेत्र में बीकानेर रोड पर रीको औद्योगिक क्षेत्र की कुछ वर्ष पहले स्थापना की गयी थी। शहर की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र को यथावत् रखा गया है, तथा यहाँ पर जो सर्विस इकाइयाँ चल रही हैं,

वो यथावत् कार्य करती रहेंगी, लेकिन भविष्य में विकास की दृष्टि से औद्योगिक प्रयोजनार्थ और भूमि की आवश्यकता होगी। अतः इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही पुराने औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार मास्टर प्लान में औद्योगिक प्रयोजनार्थ कुल 782 एकड़ क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है। मास्टर प्लान 2031 में शहर के मध्य प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को भविष्य में उन क्षेत्रों में हटाकर या तो शहर के बाहरी क्षेत्रों में या रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र में स्थित किया जाना होगा। उत्तरी-पूर्वी योजना क्षेत्र में राणोराव तालाब के समीप व दक्षिणी-पूर्वी योजना क्षेत्र में रेल लाईन के समीप उक्त उपयोग प्रस्तावित किये गए हैं। शहर के मध्य स्थित बंद खनन क्षेत्र को बंद कर इस मास्टर प्लान में खुले स्थल तथा विशेष क्षेत्र हेतु प्रस्तावित किया गया है। शहर के बाहर स्थित खनन इकाइयों को यथावत् शहर के बाहरी क्षेत्र में रखा जाएगा तथा आस पास के क्षेत्र को खुला रखा जाएगा।

5-5 विद्यमान, आस पास के औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण

नोखा तहसील मुख्यालय होने के कारण यहाँ केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा कई सरकारी, अर्द्ध-सरकारी कार्यालय कार्यरत हैं। नगर पालिका रेलवे लाईन के पूर्व दिशा में तथा तहसील, पुलिस उप-अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, विद्युत निगम, मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट, पंचायत समिति इत्यादि कार्यालय इसी दिशा में आस-पास एक ही क्षेत्र में स्थित है। विद्यमान सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों का विवरण तालिका-13 में दर्शाया गया है :-

तालिका-13
विद्यमान, आस पास के औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण, 2031

क्र.सं.	विवरण	स्थिति	क्षेत्रफल (एकड़)
1.	विद्यमान	विभिन्न स्थलों पर	14
2.	प्रस्तावित	विभिन्न स्थलों पर	64
	कुल		78

स्रोत- नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण एवं आकलन

5-6 उद्यान एवं खुले स्थल

5-6-1 उद्यान एवं खुले स्थल

उद्यान एवं खुले स्थल सामान्यतः शहर के फेफड़े होते हैं। क्योंकि इन्हीं के द्वारा काफी सीमा तक नगरवासियों के सामाजिक एवं मौलिक स्वास्थ्य का लाभ होता है। कस्बे की जनसंख्या वृद्धि के कारण पुराने पार्क एवं खुले स्थल नगरीयकरण का भारी दबाव झेल रहे हैं, तथा विद्यमान भू-उपयोग में केवल 36 एकड़ क्षेत्रफल आमोद-प्रमोद हेतु दर्शाया गया है। भविष्य की आवश्यकताओं को मध्य नजर रखते हुए लगभग 534 एकड़ भूमि का मास्टर प्लान में उद्यान एवं खुले यथोचित स्थलों पर प्रावधान रखा गया है। योजना मानचित्र में सभी योजना क्षेत्रों में बड़े-बड़े पार्क एवं खुले स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

5-6-2 स्टेडियम

नोखा में वर्तमान में एक स्टेडियम स्थित है, जो रायसर रोड पर जैन स्कूल व कॉलेज के सामने लगभग 32 एकड़ में स्थित है। शहर की आवश्यकताओं के मद्दे नजर दक्षिणी-पश्चिमी योजना क्षेत्र में लगभग 35 एकड़ क्षेत्रफल में एक स्टेडियम प्रस्तावित किया गया है, ताकि छात्र-छात्राओं के खेलकूद आदि के लिए भी सुविधाजनक हो सके, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के दूसरी ओर प्रस्तावित किया गया है जिससे शहर का विकास समान रूप से हो सके।

5-6-3 fo'k's'k {ks= & 1

शहर के मध्य दक्षिणी-पूर्वी व दक्षिणी-पश्चिमी योजना क्षेत्र में बन्द पड़ी बजरी की पुरानी खानों पर समय के साथ अतिक्रमण हो गए हैं, जिन्हें नगर पालिका के प्रयासों के बावजूद हटाया नहीं जा सका है। उक्त क्षेत्र की ऊपरी सतह तो समतल दिखाई पड़ती है, परंतु सतह के नीचे लगभग 12-12 मंजिलों की गहराई तक खुदाई हो चुकी है, जिसकी गहराई का अनुमान लगाना मुश्किल है। उक्त क्षेत्र का क्षेत्रफल भी मापा नहीं जा सकता, क्योंकि आस-पास आबादी बस चुकी है। अतः सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र को खुले क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना उचित होगा, जिसमें घना वृक्षारोपण, मैदान, पार्क, स्पेशल पार्क आदि की तरह विकास कार्य प्रस्तावित किये जा सकते हैं। उक्त क्षेत्र मास्टर प्लान में लगभग 184 एकड़ प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त नोखा कस्बे में कई अन्य स्थानों पर भी छोटे-छोटे बन्द पड़े बजरी खनन क्षेत्र के आस पास के क्षेत्रों में रहवासी उपयोग हेतु यदि स्वीकृति ली जाती है स्थानीय निकाय द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए ही अनुमति दी जायेगी।

5-6-4 fo'k's'k {ks= & 2

राजस्व ग्राम माडिया के पश्चिमी भाग में लगभग 64 एकड़ भूमि राजस्व रेकॉर्ड अनुसार जोहड़/बीड़ हेतु अंकित है। समान प्रकृति की भूमि लगभग 28 एकड़ राजस्व ग्राम रोड़ा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु आवंटित भूमि के उत्तरी भाग में व बीकासर गांव के उत्तरी दिशा में भी स्थित है। चूंकि उक्त भूमि राजकीय भूमि है। अतः भविष्य में विकास हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त भागों पर विकास किया जाएगा।

5-7 I ko'tfud , oa v) & I ko'tfud

सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत शैक्षणिक, चिकित्सा, अन्य सामुदायिक सुविधाएं, सामाजिक-सांस्कृतिक, धार्मिक/ऐतिहासिक स्थल, जनोपयोगी सुविधाएं तथा जलापूर्ति जल-मल निकास व ठोस कचरा प्रबंधन, विद्युत आपूर्ति तथा श्मशान व कब्रिस्तान आदि सुविधाएं सम्मिलित हैं। नोखा की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई, परन्तु सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार व विकास नहीं होने से वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएं अपर्याप्त हैं। इन समस्त सुविधाओं को शहर के निवासियों को उपलब्ध करवाना मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य है। अतः आवासीय क्षेत्रों का वितरण, विकास के घनत्व, क्षेत्र की स्थानीय विशेषताओं और भविष्य में विकास की सम्भावनाओं आदि तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं के लिए मास्टर प्लान में लगभग 619 एकड़ भूमि आरक्षित की गयी है। सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत आरक्षित भूमि उपयोग का विवरण तालिका-14 में दर्शाया गया है :-

rkfydk &14

I ko'tfud , oa v) & I ko'tfud I fo/kk, a ; ks dk foj .k] uks[kk&2031

Ø-I a	I ko'tfud , oa v) & I ko'tfud I fo/kk, a	dy {ks=Qy ¼, dM+ e½
1.	शैक्षणिक	198
2.	चिकित्सा	72
3.	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	110
4.	धार्मिक/ऐतिहासिक/सामाजिक/सांस्कृतिक	25
5.	जनोपयोगी सुविधाएं	176

6.	श्मशान एवं कब्रिस्तान	38
	; kx	619

स्रोत- नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण एवं आकलन

5-7-1 'kfk.kd

सरकारी नीति के अनुसार शैक्षणिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2031 तक के लिए योजना में प्रावधान किया गया है। क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए शिक्षण आवश्यकताओं हेतु आवश्यकतानुसार भूमि का विभिन्न क्षेत्रों में प्रावधान रखा गया है। जिसमें महाविद्यालय स्तर तक की शिक्षण संस्थाओं हेतु आवश्यक भूमि का प्रावधान सम्मिलित है। प्राथमिक एवं नर्सरी स्तर की शैक्षणिक सुविधाएं, आवासीय योजना क्षेत्रों का विस्तृत प्लान तैयार करते समय आवासीय योजनाओं का ले-आउट प्लान स्वीकृत करते समय इन स्कूलों के स्थलों का प्रावधान किया जाएगा। वर्तमान में यहां लगभग 64 एकड़ भूमि शैक्षणिक उपयोगों में ली जा रही है।

भविष्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मास्टर प्लान 2031 में प्रस्तावित नगरीय योग्य क्षेत्र में विभिन्न स्थलों पर लगभग 198 एकड़ भूमि शैक्षणिक संस्थान हेतु प्रस्तावित की गयी है। मास्टर प्लान में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित भूमि में सभी स्तर विद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी/व्यावसायिक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इत्यादि सभी प्रकार के शैक्षणिक उपयोग अनुज्ञेय रहेंगे।

rkfydk&15

'kfk.kd | fo/kk/ka ds Hk&mi ; kx dk foj .k uks[kk&2031

Øekd	Lrj@d{kk	fLFkfr	{ks=Qy ¼, dM+ e½
1	2	3	4
विद्यमान	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/ महाविद्यालय	विभिन्न क्षेत्रों में	64
प्रस्तावित	सभी स्तर के विद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी/ व्यावसायिक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय	विभिन्न क्षेत्रों में	198

5-7-2 fpdfRI k

नोखा में वर्तमान में एक बड़ा राजकीय अस्पताल, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दो प्राइवेट नेत्र चिकित्सालय, एक प्राइवेट अस्पताल, एक नर्सिंग होम, दो क्लीनिक, रायसर रोड पर चिकित्सालय तथा सुजानगढ रोड पर एक पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं। लेकिन भविष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए नोखा में और अधिक चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता होगी। अतः मास्टर प्लान में उत्तरी-पूर्वी योजना क्षेत्र में एक रीको औद्योगिक क्षेत्र के दक्षिणी ओर, दक्षिणी-पूर्वी योजना में रायसर रोड पर वर्तमान स्टेडियम के पश्चिम में स्थित अस्पताल के दक्षिण में एक, दक्षिणी-पश्चिमी योजना क्षेत्र में स्थित सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट के पश्चिम में एक सामान्य चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, उत्तरी-पश्चिमी योजना क्षेत्र में प्रस्तावित विशेष क्षेत्र के पश्चिमी ओर एक सामान्य चिकित्सालय प्रस्तावित किए गए हैं। मास्टर प्लान में चिकित्सा हेतु प्रस्तावों को तालिका-16 में दर्शाया गया है :-

rkfydk&16

fpfdRI k | fo/kk/ka ds Hk&mi ; kx dk foj .k uks[kk&2031

Ø-l a	fpdRI k l f{o/kk dk Lrj	l ; k	fLFkfr	{ks=Qy¼, dM+ e#
1	2	3	4	5
<u>विद्यमान</u>	अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय एवं डिस्पेन्सरी आदि	9	विभिन्न क्षेत्रों में	10
<u>प्रस्तावित</u>	अस्पताल, एवं पशु चिकित्सालय	5	चारों योजना क्षेत्रों में	62
1	कुल योग	14		72

स्रोत –नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण एवं आकलन

5-7-3 vU; l keqkf; d l f{o/kk, a

मास्टर प्लान में विभिन्न सामुदायिक सुविधाएं जैसे डाकघर, पुलिस थाना, अग्निशमन केन्द्र, युवा केन्द्र, पुस्तकालय, वाचनालय एवं रंगमंच आदि का आवश्यकतानुसार प्रावधान रखा गया है। ऐसी सुविधाओं के लिए कई स्थल मास्टर प्लान में उचित स्थानों पर प्रस्तावित किये गये हैं। अन्य सामुदायिक सुविधाओं के प्रयोजनार्थ लगभग 110 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है। ऐसी सुविधाएं जिससे एक बड़ा क्षेत्र लाभान्वित होता है, जैसे बारातघर आदि का प्रावधान भी अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए निर्धारित भूमि में किया जा सकता है। वर्तमान में नोखा शहर में एक भी मनोरंजन केन्द्र नहीं है। इस हेतु वर्तमान में नोखा की आबादी को नये विकास के क्षेत्र में एक मनोरंजन केन्द्र प्रस्तावित किया जा रहा है, जिसमें सिनेमा घर व क्लब प्रस्तावित किये जा सकते हैं।

5-7-4 tuki ; ksxh l f{o/kk, a

जनोपयोगी सुविधाओं में पेयजल वितरण, विद्युत आपूर्ति, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन, मल-जल निकास इत्यादि सम्मिलित हैं। नगर में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इन सेवाओं पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा। अतः यह आवश्यक है कि इन समस्याओं को हल करने की दिशा में आवश्यक प्रयास किये जावें। नोखा में वर्तमान में जनोपयोगी सुविधाएं यथा जलापूर्ति मल जल निकास आदि के उपयोग के अन्तर्गत शहर की भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान भूमि सहित विभिन्न स्थलों पर लगभग 176 एकड़ भूमि आरक्षित की गयी है।

5-7-4 %½ tyki rrl

नोखा में जलापूर्ति का मुख्य साधन ट्यूब-वैल्स हैं। वर्तमान में प्रतिदिन शहर में 8000 किलोलीटर पानी वितरित किया जाता है, लेकिन बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए अतिरिक्त जल की आवश्यकता होगी। इस हेतु नई जल प्रदाय योजना तैयार की जा रही है, जिसे वर्ष 2013 तक क्रियान्वित किया जा सकेगा।

5-7-4 %½ ey&ty fudkl , oa Bkd dpjk fuLrkj.k o i rU/ku

नोखा में मल-जल निस्तारण की समुचित व्यवस्था का अभाव है। यहाँ पर अभी तक वर्षा के पानी की निकासी का भी उचित प्रावधान नहीं किया गया है। इस कारण वर्षा का पानी सड़कों पर फैला रहता है। शहर में अभी तक सीवरेज प्रणाली की व्यवस्था नहीं है। अधिकांश मकानों में सैप्टिक टैंक की व्यवस्था है तथा शेष जनता प्राचीन पद्धति का ही उपयोग करती है। इस कारण आसपास का वातावरण दूषित होने के साथ-साथ भूमिगत जल के प्रदूषित होने का खतरा बना रहता है।

स्वच्छ शहर के लिए सीवरेज प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य को गंदगी के कुप्रभावों से बचाया जा सके। भविष्य में सीवरेज प्रणाली उपयोग में लाए जाने के दृष्टिगत

कार्यालय द्वारा पूर्व में ले-आऊट अनुमोदित हो चुके हैं व उनमें 60 फीट सड़क कायम की गयी हैं, उन्हीं क्षेत्रों में सड़कों की चौड़ाई 60' मानी जाएंगी। शेष सभी सड़कें 80' चौड़ी कायम की जाएंगी। बीकानेर-जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89, नोखा से सुजानगढ को जाने वाली राज्य राजमार्ग संख्या 20 व नगर के चारों दिशाओं में प्रस्तावित बाईपास सड़क 200', पांचू से कक्कू गाँव (वाया रोड़ा गाँव) को जाने वाली सड़क, नोखा गाँव से पांचू को जाने वाली सड़क जो कि बजरी खनन क्षेत्र के बीच से गुजरती है, राष्ट्रीय राजमार्ग से रायसर को जाने वाली सड़क व दक्षिणी-पूर्वी योजना क्षेत्र में रेल लाईन की पूर्वी दिशा में प्रस्तावित सड़क को 120' एवं अन्य सभी प्रस्तावित सड़कों को 80' व 60' चौड़ा प्रस्तावित किया गया है। नगर के पुराने बसे हुए क्षेत्र में स्थित सड़कों की चौड़ाई यथावत् रखी गयी है तथा अन्य सड़कों की चौड़ाई पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप प्रस्तावित किया गया है। नोखा में प्रस्तावित सड़कों के मार्गाधिकार एवं सड़कों के प्रस्तावित सड़कों के मार्गाधिकार को क्रमशः तालिका संख्या 17 व 18 में दर्शाया गया है।

rkydk&17

i Lrkfor I Mdka dk ekxkf/kdkj] uks[kk&2031

Øekad	I Md ds i dkj	ekxkf/kdkj %QhV e%
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं बाईपास (बाह्य मार्ग)	200
2.	प्रमुख सड़कें	120
3.	मुख्य सड़कें	80' एवं 60'

rkydk&18

I Mdka dk i Lrkfor ekxkf/kdkj] uks[kk &2031

Ø- I a	I Mdka dh Js kh , oa i Lrkfor U; wure ekxkf/kdkj	i Lrkfor I Md dk U; wure ekxkf/kdkj %QhV e%
1	राष्ट्रीय राजमार्ग-89	200
2	राज्य राजमार्ग-20	200
3	उत्तर-पूर्वी योजना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-89 से राज्य राजमार्ग सं.20 तक प्रस्तावित बाईपास	200
4	दक्षिणी-पूर्वी योजना क्षेत्र में राज्य राजमार्ग सं. 20 से राष्ट्रीय राजमार्ग-89 तक (सुजानगढ रोड से नोखा रोड)	200
5	दक्षिणी-पश्चिमी योजना क्षेत्र में (नागौर रोड) राष्ट्रीय राजमार्ग-89 से कक्कू को जाने वाली एम डी आर-37 तक	200
6	दक्षिणी-पश्चिमी योजना क्षेत्र में एम डी आर-37 से पांचू को जाने वाली सड़क तक प्रस्तावित बाह्य मार्ग	200
7	उत्तरी-पश्चिमी योजना क्षेत्र में प्रस्तावित एम डी आर-37 से राष्ट्रीय राजमार्ग-89 तक प्रस्तावित बाह्य मार्ग	200
8	नागौर रेलवे क्रोसिंग से रायसर को जाने वाली सड़क	120

नोखा में बढ़ते हुए वाहनों के कारण यातायात संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं। आवागमन के अतिरिक्त वाहनों में पार्किंग की समस्या भी बहुत गंभीर होती जा रही है। पुराने व्यापारिक केन्द्रों में यह समस्या सबसे अधिक है। अतः प्रस्तावित किया गया है कि इन पुराने व्यापारिक केन्द्रों में जो खुले स्थान उपलब्ध है, उनको पार्किंग के रूप में विकसित किया जावे। नये व्यापारिक केन्द्रों की विस्तृत योजनाएं तैयार करते समय इनमें पार्किंग हेतु पर्याप्त भूमि का प्रावधान किया जावे। भारी वाहनों के लिए यातायात नगर, योजना में उचित पार्किंग स्थल का प्रावधान रखा जाएगा।

5-8-2 c] Vd VfeLuy o VDI h LVsM

वर्तमान में नोखा शहर के लगभग मध्य में बस स्टेण्ड चल रहा है। वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण इस बस स्टेण्ड पर धीरे-धीरे यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है। अतः भविष्य में यातायात की सुविधा के लिए एक बस स्टेण्ड नोखा-सुजानगढ़ सड़क पर माडिया गाँव आबादी के पास लगभग 22 एकड़ क्षेत्रफल में प्रस्तावित किया गया है। बीकानेर रोड़ पर यातायात के दबाव को देखते हुए नगर पालिका द्वारा बीकानेर रोड़ पर बस स्टेण्ड हेतु उपयुक्त स्थल चयन कर विकसित किया जाएगा।

नगर पालिका की अनुशंषा पर रेल लाईन की पूर्वी दिशा में प्रस्तावित 120' सड़क पर दक्षिणी-पूर्वी योजना क्षेत्र में एक स्थल टैक्सी स्टेण्ड हेतु प्रस्तावित किया गया है।

वर्तमान में ट्रक मुख्य सड़कों के किनारे अव्यवस्थित ढंग से खड़े रहते हैं, जो यातायात में बाधा उत्पन्न करते हैं। भारी वाहनों का शहर के अन्दर कम से कम प्रवेश हो, इसलिए मास्टर प्लान में ट्रक टर्मिनल के लिए दक्षिणी-पश्चिमी योजना क्षेत्र व उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। उक्त क्षेत्र थोक व्यापार व औद्योगिक के पास ही प्रस्तावित किया गया है ताकि किसी प्रकार का यातायात पर विपरीत प्रभाव ना पड़े।

5-8-3 jsy , oa gokbz l ok

नोखा ब्रॉडगेज रेल लाइन से देश की राजधानी दिल्ली एवं अन्य बड़े शहरों से भली-भांति जुड़ा हुआ है। अन्य शहरों से शीघ्र जोड़ा जावेगा। रेल लाइन शहर के मध्य से गुजरती है। इसमें अभी किसी भी प्रकार का बदलाव प्रस्तावित नहीं है। नोखा छोटा शहर है। अतः अभी हवाई पट्टी का प्रस्ताव नहीं है।

5-9 i fjf/k fu; æ.k i VVh

शहर के अतिक्रमणों एवं अनाधिकृत विकास को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है। इसका उद्देश्य प्रस्तावित नगरीय विकास को सघन बनाये रखना है। परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास एवं नियंत्रण नियोजित रूप से हो, इसके लिये प्रयास किये जाने आवश्यक हैं। ग्रामीण बस्तियों का विकास संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने नियंत्रण एवं अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 142 के अन्तर्गत किया जा सकेगा। परिधि नियंत्रण पट्टी में कृषि सेवा केन्द्र, हाईवे सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौध शालाएं, रिसोर्ट, फार्म हाउस, मोटल्स, वाटर पार्क, एम्यूजमेण्ट, कृषि आधारित लघु उद्योग जैसे क्रेशर, ईट व चूना भट्टा, चमड़ा उद्योग, दाल मिल, स्टोन पॉलिशिंग उद्योग, पेट्रोल पम्प, बजरी उत्खनन आदि अनुज्ञेय होंगे।

नगरीयकरण योग्य क्षेत्र और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र के मध्य स्थित भूमि परिधि नियंत्रण के रूप में रखा जायेगा। इस क्षेत्र का स्वरूप मुख्य रूप से ग्रामीण ही होगा। अतः इस नियन्त्रण पट्टी द्वारा शहर का अव्यवस्थित विकास नियंत्रित किया जा सकेगा।

नगरीयकरण क्षेत्र के बाहर राज मार्गों/बाईपास के सहारे सभी विकासकर्ताओं द्वारा उपयुक्त मार्ग के मार्गाधिकार के पश्चात् 100 फीट चौड़ी पट्टी गहन वृक्षारोपण हेतु छोड़नी होगी तथा इस पट्टी के बाद समस्त अनुज्ञेय विकास कार्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के पश्चात् ही किये जा सकेंगे।

5-9-1 xkeh.k vkcknh {ks=

परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्दर स्थित गाँवों का विकास एवं विस्तार नियमित तरीके से ही किया जायेगा। इस संबंध में यह तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण और गंभीर चिन्तन का है, यदि समुचित प्रतिबन्धों का प्रावधान नहीं किया जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि जनता ग्रामीण अंचलों में अविवेकपूर्ण ढंग से निर्माण करने के प्रति लालायित हो, जिससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में विकृतियाँ उत्पन्न होंगी, वरन् इस प्रवृत्ति से नगरीय क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में असंगत फैलाव अर्थहीन बनकर रह जायेगा। अतः आबादी विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए इन गाँवों का सुनियोजित ढंग से विस्तार हेतु आवश्यकतानुसार योजनाएं बनायी जावेंगी।

5-10 i ; kbj .k l j {k.k} o{kkjki .k , oa ty l j {k.k

पर्यावरण प्रदूषण एक व्यापक समस्या है। यह मानव जाति के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। पर्यावरण प्रदूषण से ओजोन परत कमजोर हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग अर्थात् धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है।

प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन यथा वृक्षों की कटाई, अत्यधिक भू-जल दोहन, अनियंत्रित खनन आदि से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है और भीषण गर्मी, अकाल, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप बढ़ रहे हैं।

वृक्ष, प्राण वायु के भण्डार हैं। अतएव पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से राजमार्ग व बाईपास के सहारे-सहारे वृक्षारोपण के लिए पट्टी रखे जाने का प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त के अलावा प्रमुख सड़कों के सहारे-सहारे भी वृक्षारोपण की कार्यवाही की जावेगी। राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, चिकित्सालयों व न्यायालय परिसरों में, औद्योगिक क्षेत्र, श्मशान भूमि, ओरण, गोचर, वन भूमि आदि क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित प्रयासों और प्रत्येक नागरिक को इसमें सहयोग एवं हिस्सेदारी या सह-भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

पानी के स्रोत सीमित हैं। बढ़ती जनसंख्या एवं शहरीकरण के कारण शहरों में पानी की समस्या निरंतर गहराती जा रही है। प्राचीन तालाबों, कुण्डों, कुओं आदि जल स्रोतों का संरक्षण वर्षा जल पुनर्भरण एवं पानी की रिसाईक्लिंग से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। सभी सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक भवनों, बड़े व्यावसायिक व आवासीय परिसरों में वर्षा जल पुनर्भरण संरचना का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। गंदे पानी को वैज्ञानिक तरीकों से शुद्ध कर पुनः चक्रित कर बाग-बगीचों में उपयोग लिया जाना चाहिए। उपर्युक्त हेतु स्थानीय निकाय द्वारा विशेष प्रयास किये जाने

चाहिए। तालाबों के किनारे वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है तथा आसपास का उपलब्ध रिक्त क्षेत्र खुले स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है।

6

; kst uk dk dk; kll; u

नोखा शहर की योजना तैयार करने मात्र से ही योजना प्रक्रिया सम्पूर्ण नहीं हो जाती है। यह तो वास्तव में शहर के रहने और कार्य करने के योग्य अच्छा स्तर बनाने के प्रयास का प्रारम्भिक चरण मात्र है। इस योजना को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु पूर्ण सामर्थ्य एवं क्षमता के साथ प्रयास किये जायें। अधिकांश योजनाओं की असफलता का कारण यह नहीं था कि वे अव्यवहारिक थीं, बल्कि मुख्य कारण यह रहा कि अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण विश्वास के साथ इन्हें कार्यान्वित करने हेतु कोई गंभीर प्रयास नहीं किये गये। योजना का कार्यान्वयन इन क्रियाओं का स्वरूप है, जो योजना को कार्यक्रम में स्थानान्तरित करता है। यह प्रक्रिया सार्वजनिक अभिकरणों और निजी संस्थाओं के उन सभी कार्यों और क्रियाओं को अपने अन्दर समाहित कर लेती है, जिसकी आवश्यकता अनुमोदित योजना में उल्लेखित संभावित परिणामों को निश्चित स्वरूप प्रदान करने के लिए होती है।

इस दृष्टि से नियामक और विकास दोनों प्रकार की क्रियाओं की आवश्यकता होती है। समुचित कानूनी प्रावधानों, प्रशासनिक संगठन, तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ नागरिकों की सक्रिय सहभागिता और सहयोग पर ही योजना का सफल कार्यान्वयन निर्भर करता है। अतः हम सबका यह दायित्व है कि रहने और कार्य करने के स्थल के रूप में नोखा को अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में परस्पर सहयोग की भावना से गंभीर प्रयास करें।

6-1 orlku vk/kkj

वर्तमान स्थानीय निकाय, नोखा का गठन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। यह अधिनियम स्थानीय निकाय को उतने समुचित अधिकार प्रदान नहीं करता है जिससे सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में विकास कार्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से सम्पादित किया जा सके। नगर में अन्य कई सार्वजनिक संस्थाएं भी कार्यरत हैं जो अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में निर्धारित नियमों, विनियमों और मानकों के अनुसार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती है।

6-2 iLrkfor vk/kkj

मास्टर प्लान प्रस्तावों को कार्यान्वित करने का दायित्व नगर पालिका, नोखा का रहेगा, नगर पालिका मास्टर प्लान के प्रस्तावों को तथा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से अपने क्षेत्र में लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी।

मास्टर प्लान लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान की एक प्रतिलिपि सम्बन्धित स्थानीय निकाय को भेजी जावेगी। इस प्रकार स्थानीय निकाय उक्त अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रति प्राप्त होने के पश्चात् कम से कम दो स्थानीय सामाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगी कि नोखा के नगरीय क्षेत्र में विकास कार्य उक्त मास्टर प्लान के अनुसार ही किये जावेंगे। इस सार्वजनिक सूचना की प्रतिलिपि सम्बन्धित स्थानीय कार्यालयों को सूचनार्थ भेजी जावेगी। अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतियाँ शहर के प्रमुख स्थलों यथा सूचना केन्द्र जिला कलक्टर कार्यालय एवं नगर पालिका, नोखा में आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। आम जनता उक्त मास्टर प्लान की प्रति मय मानचित्रों के कार्यालय नगर पालिका, नोखा से निर्धारित राशि दे कर क्रय कर सकेगी।

नगर पालिका, नोखा मास्टर प्लान के प्रस्तावों के सफल कार्यान्वयन हेतु प्रभावशाली योजनाएं तैयार करेगी। जलापूर्ति व मल-जल निकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा शहर यातायात प्रबन्ध सड़क विकास योजना नगर नियोजन विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण के परामर्श से तैयार करेगी। नगर पालिका नोखा मास्टर प्लान के अनुसार नगर नियोजन विभाग के परामर्श से परियोजनाएं तैयार कर कार्यान्वयन की कार्यवाही करेगी।

खण्ड क्रिया पर आधारित विखंडित प्रगति समन्वित विकास की योजना में गम्भीर समस्याएं उत्पन्न करती हैं। अतः किसी भी दीर्घकालीन योजना की सफलता के लिए योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन दोनों ही स्तर पर समन्वय का विशेष महत्व है। स्थानीय निकाय के पास पर्याप्त तकनीकी अधिकारी, समुचित वित्तीय संसाधन और तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक है, ताकि यह विकास एवं समन्वय संगठन के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि स्थानीय निकाय को पर्याप्त मजबूती और समुचित अधिकार दिया जाये। सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र की योजना और विकास कार्यों पर इसका नियंत्रण हो, इस दृष्टि से आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय करने होंगे।

6-3 तु&l gHkkfxrk , oa tu&l g; ksx

कस्बे का विकास अंततः लोगों की आशाओं एवं प्रेरणाओं पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वहाँ की जनता का पूर्ण सक्रिय सहयोग आवश्यक है। नागरिक जागरूकता ही नगर को सक्षम एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि शहर की जनता मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

6-4 Hk&mi ; ksx v&du , oa Hk&fe vokflr

नोखा के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोगों का निर्धारण सरकारी भूमि की उपलब्धता, खाली एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गयी स्वीकृति/अनुमोदन को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार की गयी भू-उपयोग योजना 2031 में समायोजित किए जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। सहवन से सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी की गयी किसी स्वीकृति यथा 90 बी के आदेश, आवंटन, भूमि रूपांतरण व नियमन, भू-उपयोग परिवर्तन, अनुमोदित योजना, भवन निर्माण स्वीकृति आदि का समायोजन नहीं हो पाया हो तो उन्हें समायोजित माना जावेगा।

मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है। यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया हो तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही मान्य होगी। इन नदी नाले, जलाशय इत्यादि में किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण/नियमन/रूपान्तरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूख गये हों। क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर से सुनिश्चित की जावेगी।

प्रस्तावित जन सुविधाओं यथा-शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, खुले स्थल एवं जन उपयोगी सुविधाओं के विकास बाबत भूमि अवाप्त की जाये, जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

6-5 मि। ग्ज

मास्टर प्लान भावी विकास की तस्वीर मात्र है, जिसकी सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है, जबकि इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणित किया जाये। इस योजना में आगामी वर्षों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित होते हैं। नोखा का मास्टर प्लान तैयार करते समय एक विवेक सम्मत एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है, तथा सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। नगर में नयी सुविधाएं उपलब्ध कराने, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि करने और नोखा को आवास की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया है।

जक्तLFkku uxj l qkkj vf/kfu; e] 1959 ds m}j.k
v/; k; &2
ekLVj lyku

3- jkT; l jdkj dks ekLVj lyku r\$ kj djus ds vkn\$ k djus dh 'kfDr%&

1) राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जाएगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।

2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार उचित समझे।

4- ekLVj lyku dh vllroLrq %&

1) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जाएंगे जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाए तथा वह रीति उपदर्शित की जाएगी जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है और

2) उस ढाँचे के विभिन्न जोनों की सुधार स्कीमें तैयार की जायें, आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।

5- vuq j.k dh tkus okyh i f0; k %&

(1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी शासकीय रूप में कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गए नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के संबंध में आपत्ति तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे, प्रकाशित करेगा।

6- ekLVj lyku dk l jdkj dks iLrq fd; k tkuk %&

(1) प्रत्येक मास्टर प्लान तैयार किये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) राज्य, सरकार मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।

(3) राज्य सरकार या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए उसे अस्वीकार कर सकेगी।

7- ekLVj lyku ds iDr u dh rkjh[k %&

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहाँ मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तिथि से प्रवर्तन में आ जायेगा।

परिशिष्ट-2

jktLFkku uxj l qkkj U; kl ¼ kekU; ½ fu; e&1962 ds m) j . k

THE RAJASTHAN IMPROVEMENT TRUST
(GENERAL) RULES, 1962

[Notification No. F. 4 (32) ISG@59 dated 02.04.1962 published in the Rajasthan Gazette part IV-c extraordinary dated 08.06.1962 page118J]

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 {Rajasthan Act 35 of 1959}, the state Government hereby makes the following Rules, namely :-

RULES

1. Short title and commencement :

(1) These rules may be called " Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules - 1962"

(2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

2 Definitions- In these rules the subject or context otherwise requires- "Act" mean the Rajasthan Urban Improvement Act., 1959 (Act No. 35 of 1959).

(i) " Trust" means a trust as constituted under the Act

(ii) "Section" means a Section of the Act

(iii) Word and expressions used but not defined shall have the meaning assigned to them in the Act.

2. Manner of publication of draft Master plan and the contents thereof under Section 5(i).

(1) The draft master plan prepared by the officer of the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act., 1959, Shall be published by him by making a copy thereof available for inspection at the office of the Trust concerned and publishing a notice in the form "A in the official Gazette and in at least two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggestions and objections from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of publication of the said notice. It the

officer or authority appointed under section 3 of the said Act is satisfied that response to the Draft Master Plan has been inadequate, the period may be extended further for a maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objections \ suggestions with respect to the draft of the Master plan.

(i) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by the officer or the Authority to each of the Local Body operating in the area included in the Master plan.

(ii) The Draft Master plan shall ordinarily consist of the following maps, plan and documents namely:-

(a) Town Map showing General Layout of the roads and streets in the Town.

(b) Base map showing the Generalised existing land use pattern, such as residential, commercial, industrial, public and semi-public uses etc.

(c) Draft Master Plan showing broadly the proposed land use Pattern. In the Urban area such as residential, commercial, industrial public and semi- public uses etc.

(c) written analysis and written statement to support the proposals.

¹ substituted by clause 2 of Notification No . f.3 (23) Tp \

क्रमांक:-प.10(7)नविवि/3/81
2011

जयपुर दिनांक 02.11.

vf/kl ipuk

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को नोखा (जिला बीकानेर) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है :-

jktLo xke dk uke		
Øekad	vaxsth	fglUnh
1	NOKHA MANDI	नोखा मण्डी
2	BIKASAR	बीकासर
3	MADIA	माडिया
4	SOMALSAR	सोमलसर
5	DASNOO	दासनू
6	CHARKADA	चरकड़ा
7	RORA	रोड़ा
8	NOKHA GAON	नोखा गांव
9	BUDHARON KI DHANI	बुधरों की ढाणी
10	GOVIND NAGAR	गोविन्द नगर
11	JAGRAMPURA	जगरामपुरा
12	PRAHLADPURA	प्रहलादपुरा

jkt; iky dh vkKk l s

g-

¼i q "kkðke fc; k. kh½

mi &' kkl u l fpo&i fke

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1 निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राज पत्र

के असाधारण अंक में करवाकर मय सी डी एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।

2 प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग राज. जयपुर।

3 मुख्य नगर नियोजक राज. जयपुर।

4 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम) राजस्थान, जयपुर।

5 वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।

6 जिला कलक्टर, बीकानेर।

7 अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नोखा।

8 रक्षित पत्रावली।

g-

¼i nhi di j½

mi uxj fu; kstd

परिशिष्ट-4

jktLFkku l jdkj
uxjh; fodkl foHkkx

क्रमांक:-प.10(7)नविवि/3/81
2012

दिनांक:-18.9.

vf/kl ipuk

नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उप धारा 1 सपठित धारा 2 की उपधारा 1 की बिन्दु संख्या 10 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02.11.2011 के द्वारा अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), राजस्थान जयपुर को नोखा के नगरीय क्षेत्र जो कि 12 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करके सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, उसकी निरन्तरता में निम्नलिखित ग्रामों को और जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	राजस्व ग्राम का नाम	
1	कंवलीसर	KANWALISAR
2	भ्याऊ	BHYAU

jkt; i ky dh vkKk l s
g-
¼i q "kkúke fc; k. kh½
mi & ' kkl u l fpo&i fke

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राज पत्र के असाधारण अंक में करवाकर मय सी डी एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
- 2 प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग राज. जयपुर।
- 3 मुख्य नगर नियोजक राज. जयपुर।
- 4 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम) राजस्थान, जयपुर।
- 5 वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।
- 6 जिला कलक्टर, बीकानेर।
- 7 अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नोखा।
- 8 रक्षित पत्रावली।

g0
¼i nhi di j½
mi uxj fu; kstd

jktLFkku l jdkj
uxj fu; kst u foHkkx

परिशिष्ट-5

dk; kly; eq; uxj fu; kst d] jktLFkku] t; i gA
dækd%hi hvkj%116@ekLVj lyku@uks[kk@ fnukad% 28-09-12
vf/kl ipuk

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, की धारा 5 की उपधारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम 1962 के नियम (3) के अन्तर्गत नोखा के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2031 का प्रारूप तैयार कर जनता से आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रारूप मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत नोखा कस्बे एवं निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं :-

Ø-l a	jktLo xke dk uke (fgUnh e) a	jktLo xke dk uke (vxsth e) a
1	नोखा मण्डी	NOKHA MANDI
2	बीकासर	BIKASAR
3	माडिया	MADIA
4	सोमलसर	SOMALSAR
5	दासनू	DASNOO
6	चरकड़ा	CHARKADA
7	रोड़ा	RORA
8	नोखा गांव	NOKHA GAON
9	बुधरों की ढाणी	BUDHARON KI DHANI
10	गोविन्द नगर	GOVIND NAGAR
11	जगरामपुरा	JAGRAMPURA
12	प्रहलादपुरा	PRAHLADPURA
13	कंवलीसर	KANWALISAR
14	भ्याऊ	BHYAU

मास्टर प्लान नोखा के इस प्रारूप के संबंध में राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित तिथि से 30 दिन की समयावधि में कोई भी व्यक्ति/संस्था/विभाग अति. मुख्य नगर नियोजक,(पश्चिम), राजस्थान, जयपुर अथवा वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर को अपनी आपत्ति एवं सुझाव प्रेषित कर सकता है। उक्त मास्टर प्लान के प्रारूप को उपरोक्त समयावधि में किसी भी दिन कार्यालय समय में नगर पालिका, नोखा के कार्यालय भवन में देखा जा सकता है, एवं आपत्ति/सुझाव उक्त कार्यालय में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कार्यालय नगर पालिका, नोखा मास्टर प्लान के इस प्रारूप से संबंधित पुस्तिका एवं मानचित्र कार्यालय नगर पालिका, नोखा से क्य किये जा सकते हैं।

g0
%Jherh bfñjk½
vfrfjDr eq; uxj fu; kst d% f'pe½
jktLFkku] t; i gA

jktLFkku l jdkj

परिशिष्ट-6

dk; kly; eq; uxj fu; kst d] jktLFkku] t; i gA

वर्णिकृत

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5 (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम 1962 के नियम (3) के अन्तर्गत राज्य सरकार के निर्देशानुसार नोखा के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2031 का संशोधित प्रारूप तैयार कर जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रारूप मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं-

क्र.सं.	राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5 (1) के अन्तर्गत	नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम 1962 के नियम (3) के अन्तर्गत
1.	NOKHA MANDI	नोखा मण्डी
2.	BIKASAR	बीकासर
3.	MADIA	माडिया
4.	SOMALSAR	सोमलसर
5.	DASNOO	दासनू
6.	CHARKADA	चरकड़ा
7.	RORA	रोड़ा
8.	NOKHA GAON	नोखा गांव
9.	BUDHARON KI DHANI	बुधरों की ढाणी
10.	GOVIND NAGAR	गोविन्द नगर
11.	JAGRAMPURA	जगरामपुरा
12.	PRAHLADPURA	प्रहलादपुरा
13.	KANWALISAR	कवलीसर
14.	BHYAU	भ्याऊ

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 धारा 5 (1) के तहत पूर्व में दिनांक 28.09.2012 को आम जनता से आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित किये गये नोखा मास्टर प्लान (प्रारूप) पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया गया है। अतः मास्टर प्लान के संशोधित प्रारूप पर अब आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित किये जा रहे हैं।

नोखा मास्टर प्लान (संशोधित प्रारूप) के संबंध में राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की समयावधि में किसी भी व्यक्ति/संस्था/विभाग द्वारा कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, नगर नियोजन विभाग, जे0एल0एन0 मार्ग, जयपुर-302004, कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर अथवा कार्यालय नगर पालिका, नोखा में अपनी आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते हैं। मास्टर प्लान के इस संशोधित प्रारूप को उपरोक्त समयावधि में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में दिनांक 30.05.2013 से 28.06.2013 तक नगर पालिका, नोखा में देखा जा सकता है। मास्टर प्लान के इस प्रारूप से संबंधित पुस्तिका एवं मानचित्र कार्यालय नगर पालिका, नोखा से क्रय किये जा सकते हैं।

ह0/-
 जयपुर नगर निगम
 नगर नियोजन विभाग
 नोखा

परिशिष्ट-7

नोखा नगर पालिका
 नोखा

vt/kl ipuk

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02.11.2011 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 18.9.2012 के द्वारा यथा अधिसूचित "नोखा शहर के नगरीय क्षेत्र" के लिए तैयार किये गये नोखा शहर के मास्टर प्लान 2031 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त मास्टर प्लान 2031 की प्रति का अवलोकन नगर पालिका, नोखा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह.

(सी एस मूथा)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी डी भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
- 2 प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- 4 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम) जयपुर।
- 5 जिला कलक्टर, बीकानेर ।
- 6 वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।
- 7 अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नोखा, जिला बीकानेर।
- 8 रक्षित पत्रावली।

ह.

(प्रदीप कपूर)

वरिष्ठ नगर नियोजक